"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 177] रायपुर, सोमवार, दिनांक 16 जुलाई 2012—आषाढ़ 25, शक 1934

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, सोमवार, दिनांक 16 जुलाई, 2012 (आषाढ़ 25, 1934)

क्रमांक-9858/वि. स./विधान/2012.—छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम (संशोधन) विधेयक, 2012 (क्रमांक 9 सन् 2012), जो दिनांक 16 जुलाई, 2012 को पुरःस्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

हस्ता./-
(देवेन्द्र वर्मा)
सचिव.

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 9 सन् 2012)

छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम (संशोधन) विधेयक, 2012

छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम (संशोधन) अधिनियम, 2012 कहलाएगा.

   (2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा 5 का संशोधन.

2. (एक) छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्र. 23 सन् 1956) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है), की धारा 5 में, विद्यमान उप-धारा (18-क) को "(18-ख)" के रूप में पुनः क्रमांकित किया जाए.

   (दो) मूल अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (18) के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—
   "(18-क) "संचालक" से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया गया नगरीय प्रशासन तथा विकास का संचालक;"

   (तीन) धारा 5 की उप-धारा (19) के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्:—
   "(19-क) "संभागीय आयुक्त" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्र. 20 सन् 1959) के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त संभागीय आयुक्त."

   (चार) धारा 5 की उप-धारा (49) के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—
   "(49-क) "पंजीकृत वास्तुविद/संरचना इंजीनियर/इंजीनियर" से वही अभिप्रेत है जो छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) के अंतर्गत बनाये गये छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम. 1984 में परिभाषित है;"

   (पांच) धारा 5 की उप-धारा (54-क) के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—
   "(54-ख) "सामाजिक अंकेक्षण" से अभिप्रेत है ऐसे नगरपालिक क्षेत्र जहां ऐसा पुनर्विलोकन संचालित किया जाना है, के भीतर निवास कर रहे व्यक्तियों के किसी समूह या समूहों द्वारा, किसी नगरपालिका प्राधिकारी द्वारा अंगीकृत की गई या कार्यान्वित की गई नीतियों, कार्यक्रमों, योजनाओं या प्रक्रियाओं के प्रभाव का पुनर्विलोकन;"

   (छः) धारा 5 की उप-धारा (57) के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाए, अर्शत् :—
   "(57-क) "उपभोक्ता प्रभार" से अभिप्रेत है धारा 132-क के अधीन निगम द्वारा प्रदत्त अथवा प्रदान किये जाने हेतु प्रस्तावित सेवाओं के लिये अधिरोपित प्रभार;"

धारा 19 का संशोधन.

3. मूल अधिनियम का धारा 19 की उप-धारा (1) के खण्ड (अ) के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—
   "(अ-1) यदि यह पाया जाए कि वह उस आरक्षित प्रवर्ग का नहीं है जिसके लिए स्थान आरक्षित रखा गया था, या;"

4. ... अधिनियम की धारा 19-ख की उप-धारा (1) में शब्द "या उसके अधीन बनाये गये नियमों के" के स्थान पर, शब्द "या उसके अधीन बनाये गये नियमों के, या यदि यह पाया जाए कि महापौर उस आरक्षित प्रवर्ग का नहीं है, जिसके लिए स्थान आरक्षित रखा गया था," प्रतिस्थापित किया जाये. — धारा 19-ख का संशोधन.

5. मूल अधिनियम की धारा 25-ख में शब्द "पारिश्रमिक" के स्थान पर, शब्द "मानदेय" प्रतिस्थापित किया जाए. — धारा 25-ख का संशोधन.

6. (एक) मूल अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :— — धारा 29 का संशोधन.

"(2) धारा 18 तथा 23-क में निर्दिष्ट सम्मिलन के सिवाय प्रत्येक सम्मिलन की तारीख अध्यक्ष द्वारा महापौर की सहमति से या उसके कार्य करने में असमर्थ होने की दशा में, महापौर द्वारा नियत की जाएगी:

परंतु यदि अध्यक्ष या महापौर, जैसी भी स्थिति हो, के द्वारा सम्मिलन की तारीख नियत नहीं की जाती है, तो संभागीय आयुक्त, राज्य सरकार को सूचना के अधीन सम्मिलन की तारीख नियत करेगा."

(दो) धारा 29 की उप-धारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(5) बैठक हेतु कार्यसूची (एजेण्डा) तैयार करने की प्रक्रिया ऐसी होगी जैसी कि राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए."

7. मूल अधिनियम की धारा 53 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :— — धारा 53 का संशोधन.

"53. **सम्मिलन का कार्यवृत्त.**—

(1) निगम, मेयर-इन-काउंसिल या किसी समिति के प्रत्येक सम्मिलन की कार्यवाहियों का कार्यवृत्त, ऐसी रीति में अभिलिखित किया जाएगा, जैसी कि विहित की जाए."

8. मूल अधिनियम की धारा 60 की उप-धारा (6) में जहां कहीं भी शब्द "राज्य लोक सेवा आयोग" आया है, के स्थान पर शब्द "संभागीय आयुक्त" प्रतिस्थापित किया जाए. — धारा 60 का संशोधन.

9. मूल अधिनियम की धारा 68 की उप-धारा (1) में, शब्द "परिशिष्ट" के स्थान पर शब्द एवं अंक "अनुसूची-एक" प्रतिस्थापित किया जाए. — धारा 68 का संशोधन.

10. मूल अधिनियम की धारा 130-ख के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात् :— — धारा 130-ग का अंतः स्थापन.

"130-ग. **सामाजिक अंकेक्षण.**—इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, निगम ऐसी रीति में सामाजिक अंकेक्षण करवाने की व्यवस्था करेगा जैसी कि राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए."

11. मूल अधिनियम की धारा 132 के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात् :— — धारा 132-क का अंतः स्थापन.

"132-क. **उपभोक्ता प्रभारों का अधिरोपण.**—

(1) धारा 132 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, निगम किसी साधारण अथवा विशेष आदेश जो कि राज्य सरकार इस संबंध में जारी करे, के अध्यधीन रहते हुए, उप-धारा (2) में उल्लिखित सेवाओं के लिए उपभोक्ता प्रभार निम्नलिखित दशाओं में उद्ग्रहित कर सकेगी, अर्थात् :—

(क) जब वह सेवा वितरण में सुधार के लिये कोई नई प्रणाली या परियोजना प्रारंभ करे;

(ख) जब सेवा स्तर के आधार पर किसी सेवा का सुधार करे.

(2) उप-धारा (1) के अधीन उपभोक्ता प्रभार निम्नलिखित एक या एक से अधिक सेवाओं के लिये उद्ग्रहित किया जा सकेगा, अर्थात् :—

(क) जलापूर्ति;

(ख) जल निकास अथवा मलवहन निपटान और/या प्रसंस्करण;

(ग) घर द्वार के कूड़े (ठोस अपशिष्ट) का संग्रहण और/या नगरपालिक कूड़ा को वैज्ञानिक प्रणाली से निपटान;

(घ) निगम द्वारा प्रदान की जाने वाली अन्य कोई नई सेवा.

(3) उपभोक्ता प्रभार, नगरपालिका क्षेत्र पर या निगम द्वारा विनिर्दिष्ट किये गये शहर के किसी विशिष्ट क्षेत्र या उसके किसी भाग पर, जहां उप-धारा (1) के अधीन निर्दिष्ट सेवा प्रदान की जाती हो, उद्ग्रहित किया जा सकेगा."

धारा 134 का संशोधन.

12. मूल अधिनियम की धारा 134 के खण्ड (6) में शब्द **"संपत्ति संबंधी देय किराये के आसेध"** के पश्चात् शब्द "एवं/या उसकी चल/अचल संपत्ति के आसेध एवं/या विक्रय" जोड़ा जाए.

धारा 136 का संशोधन.

13. (एक) मूल अधिनियम की धारा 136 के खण्ड (बी) एवं परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(बी) कवेलू छत के समस्त कच्चे मकान जिनका क्षेत्रफल पांच सौ वर्ग फुट से अधिक न हो, तथा ऐसी समस्त भूमि और भवन, जो शहरी गरीबों के हों या जिन पर उनका निवास हो, जिसे शासन द्वारा जारी अधिसूचना के माध्यम से छूट दी जा सकेगी."

(दो) धारा 136 के खण्ड (सी) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(सी) भारत सरकार, राज्य शासन, नगर निगमों की शैक्षणिक संस्थाओं, पंजीकृत धर्मार्थ न्यास, आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 12क के अंतर्गत पंजीकृत शैक्षणिक संस्थाओं को सम्पूर्ण छूट प्राप्त होगी तथा अन्य शैक्षणिक संस्थाओं को निगम द्वारा यथानिर्धारित सम्पत्ति कर के पचास प्रतिशत तक की छूट ऐसे मानदण्ड के अनुसार दी जा सकेगी जो कि राज्य सरकार द्वारा विहित किया जाए."

(तीन) धारा 136 के खण्ड (एफ) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(एफ) विधवा या नाबालिग अथवा नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार का संरक्षण तथा पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (1996 का 1) के अधीन नि:शक्त व्यक्तियों के स्वामित्व वाली भूमि और भवन को विहित की गई सीमा तक."

(चार) धारा 136 के खण्ड (एच) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(एच) नेत्रहीन व्यक्ति तथा परित्यक्त महिलाओं के स्वामित्व वाली भूमि और भवन को विहित की गई सीमा तक."

(पांच) मूल अधिनियम धारा 136 के खण्ड (जे) का लोप किया जाए.

धारा 137 का संशोधन.

14. मूल अधिनियम की धारा 137 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"137. **संपत्ति कर पर छूट.—**

(1) धारा 135 और 136 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, निगम को संपत्ति कर से ऐसी छूट प्रदान करने की शक्ति होगी जैसा कि वह उचित समझे तथा राज्य सरकार, निगम की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, निगम द्वारा प्रदान की जाने वाली छूट की अधिकतम सीमा विहित कर सकेगी."

धारा 138 का संशोधन.

15. (एक) मूल अधिनियम की धारा 138 की उप-धारा (1) में शब्द "यथास्थिति किसी भवन के निर्मित क्षेत्र या किसी भूमि के प्रतिवर्ग फुट के आधार पर" के स्थान पर, शब्द "यथास्थिति, किसी भवन या भूमि के निर्मित क्षेत्र (बिल्ट-अप एरिया) प्रतिवर्ग मीटर के आधार पर" प्रतिस्थापित किया जाए.

(दो) धारा 138 की उप-धारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(1-क) आयुक्त द्वारा आगामी वित्तीय वर्ष के लिए उप-धारा (1) में उल्लिखित प्रारूप संकल्प प्रत्येक वित्तीय वर्ष के 31 दिसंबर या इसके पूर्व तैयार किया जायेगा तथा प्रस्तुत किया जायेगा. उस दशा में जबकि निगम संकल्प को उस वित्तीय वर्ष के फरवरी के अंतिम दिन तक अंगीकृत करने में विफल रहता है, तो संकल्प महापौर द्वारा अनुमोदित किया जायेगा तथा इसे निगम द्वारा अंतिम रूप से अंगीकृत किया गया संकल्प समक्षा जाएगा:

परंतु आयुक्त द्वारा तैयार किया गया प्रारूप संकल्प वित्तीय वर्ष के 31 मार्च तक यदि महापौर द्वारा अनुमोदित नहीं किया जाता है, तो आयुक्त द्वारा तैयार किया गया प्रारूप संकल्प निगम द्वारा अंतिम रूप से अंगीकृत किया गया संकल्प समझा जाएगा."

(तीन) धारा 138 की उप-धारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(2-क) यदि ऐसा व्यक्ति जिसका दायित्व था कि वह 31 मार्च के पूर्व स्वनिर्धारण पत्रक प्रस्तुत करे, के द्वारा यह पत्रक प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो उस पर चूक हेतु एक हजार रुपये की शास्ति अधिरोपित की जायेगी."

(चार) धारा 138 की उप-धारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(3) उप-धारा 2 के अंतर्गत किये गये निर्धारण में निम्नस्तर पर दस प्रतिशत तक का अंतर आता है, परन्तु कर देय होने की तिथि तथा अंतर की राशि जमा करने की तिथि के बीच (अंतर) के प्रत्येक माह के लिए दो प्रतिशत की दर से अधिभार के साथ निर्धारिति निर्धारण आदेश के दो सप्ताह के भीतर कमी की राशि जमा करे, तो शास्ति के प्रयोजन पर ध्यान नहीं दिया जायेगा, तथा ऐसे मामलों में जहां अंतर दस प्रतिशत से अधिक हो, तो भूमि और/या भवन का स्वामी, यथास्थिति, कर देय होने की तिथि तथा अंतर की राशि जमा करने की तिथि के बीच (अंतर) के प्रत्येक माह के लिए दो प्रतिशत की दर से अधिभार के अतिरिक्त उसके द्वारा किये गये स्व-निर्धारण तथा निगम के द्वारा किये गये निर्धारण के अंतर के पांच गुने के बराबर शास्ति भुगतान करने का दायी होगा."

(पांच) धारा 138 की उप-धारा (4) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(4) उप-धारा (3) के अधीन पारित किये गये आदेश के विरुद्ध अपील मेयर-इन-काउंसिल में होगी:

परंतु इस उप-धारा के अंतर्गत कोई भी अपील तब तक ग्रहण नहीं की जायेगी जब तक कि उसके साथ उप-धारा (3) के अंतर्गत जारी आदेश के अनुसार मांगी गई राशि के सविरोध भुगतान करने का प्रमाण संलग्न नहीं किया गया हो."

16. मूल अधिनियम की धारा 142 की उप-धारा (3) में शब्द "सौ रुपये से अधिक न हो" के स्थान पर शब्द "अनुसूची-दो के अनुसार होगा" प्रतिस्थापित किया जाए. **धारा 142 का संशोधन.**

17. मूल अधिनियम की धारा 165 की उप-धारा (2) में शब्द "एक सौ रुपये तक का हो सकता है" के स्थान पर शब्द "अनुसूची-दो के अनुसार होगा" प्रतिस्थापित किया जाए. **धारा 165 का संशोधन.**

18. मूल अधिनियम की धारा 166 में शब्द "एक सौ रुपये तक का हो सकता है" के स्थान पर शब्द "अनुसूची-दो के अनुसार होगा" प्रतिस्थापित किया जाए. **धारा 166 का संशोधन.**

19. मूल अधिनियम की धारा 199 की उप-धारा (2) में शब्द "पचास रुपये" एवं "पांच रुपये" के स्थान पर, क्रमशः शब्द "पांच सौ रुपये" एवं "पचास रुपये" प्रतिस्थापित किया जाए. **धारा 199 का संशोधन.**

धारा 200 का संशोधन.

20. मूल अधिनियम की धारा 200 में शब्द "बीस रुपये तक हो सकता है" के स्थान पर, शब्द "अनुसूची-दो के अनुसार होगा" प्रतिस्थापित किया जाए.

धारा 201 का संशोधन.

21. मूल अधिनियम की धारा 201 में शब्द "पचास रुपये तक हो सकता है" के स्थान पर, शब्द "अनुसूची-दो के अनुसार होगा" प्रतिस्थापित किया जाए.

धारा 236 का संशोधन.

22. मूल अधिनियम की धारा 236 की उप-धारा (2) में शब्द "पचास रुपये से अधिक का न हो" के स्थान पर, शब्द "अनुसूची-दो के अनुसार होगा" प्रतिस्थापित किया जाए.

धारा 252 का संशोधन.

23. मूल अधिनियम की धारा 252 की उप-धारा (2) में शब्द "दो सौ रुपये" एवं "पचास रुपये" के स्थान पर, क्रमशः शब्द "दो हजार रुपये" एवं "दो सौ रुपये" प्रतिस्थापित किया जाए.

धारा 257 का संशोधन.

24. मूल अधिनियम की धारा 257 की उप-धारा (5) में शब्द "पचास रुपये तक का हो सकता है" के स्थान पर, शब्द "अनुसूची-दो के अनुसार होगा" प्रतिस्थापित किया जाए.

धारा 258 का संशोधन.

25. मूल अधिनियम की धारा 258 की उप-धारा (4) में शब्द "दस रुपये तक हो सकता है" के स्थान पर, शब्द "अनुसूची-दो के अनुसार होगा" प्रतिस्थापित किया जाए.

धारा 272 का संशोधन.

26. मूल अधिनियम की धारा 272 के खण्ड (इ) में शब्द "पचास रुपये तक हो सकता है" के स्थान पर, शब्द "अनुसूची-दो के अनुसार होगा" प्रतिस्थापित किया जाए.

धारा 294 का संशोधन.

27. मूल अधिनियम की धारा 294 की उप-धारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"(5) इस धारा के अधीन आयुक्त की शक्तियां, इस प्रयोजन के लिये निगम से पंजीकृत वास्तुविद्/संरचना इंजीनियर/इंजीनियर द्वारा, उनके लिये विहित की गई सीमा के भीतर, प्रयोग की जा सकेगी."

धारा 297 का संशोधन.

28. मूल अधिनियम की धारा 297 में, जहां कहीं भी शब्द "आयुक्त" आया हो, के पश्चात् शब्द तथा अल्पविराम "या, यथास्थिति, पंजीकृत वास्तुविद/संरचना इंजीनियर/इंजीनियर उसे प्राधिकृत की गई सीमा तक," अंतःस्थापित किया जाए.

धारा 299 का संशोधन.

29. मूल अधिनियम की धारा 299 में, जहां कहीं भी शब्द "आयुक्त" आया हो, के पश्चात् शब्द तथा अल्पविराम "या, यथास्थिति, पंजीकृत वास्तुविद/संरचना इंजीनियर/इंजीनियर उसे प्राधिकृत की गई सीमा तक," अंतःस्थापित किया जाए.

धारा 299-क का संशोधन.

30. मूल अधिनियम की धारा 299-क के परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"परंतु यह और कि ऐसे प्रकरणों में जहां अनुज्ञा, पंजीकृत वास्तुविद/संरचना इंजीनियर/इंजीनियर द्वारा प्रदान की गई हो, अनुज्ञा को निरस्त या पुनरीक्षित करने की शक्ति इस धारा के अधीन आयुक्त को होगी."

धारा 302 का संशोधन.

31. मूल अधिनियम की धारा 302 की उप-धारा (2) में, शब्द "एक हजार रुपये" एवं "पचास रुपये" के स्थान पर क्रमशः शब्द "पांच हजार रुपये" तथा "दो सौ रुपये" प्रतिस्थापित किया जाए.

धारा 308- का संशोधन.

32. मूल अधिनियम की धारा 308-क के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"308-क. **अनुज्ञा के बिना भवनों के सन्निर्माण के अपराधों का शमन किया जाना.—**

(1) इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या बनाई गई उप-विधियों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, अधिकारी, अनुज्ञा के बिना या प्रदान की गई अनुज्ञा के प्रतिकूल, भवनों का सन्निर्माण

करने के अपराध का शमन कर सकेगा, यदि—

(क) ऐसा सन्निर्माण नियमित भवन पंक्ति को प्रभावित नहीं करता है;

(ख) खुले पार्श्व स्थानों में या विहित फर्श क्षेत्र में अनुपात से अधिक किया गया अप्राधिकृत सन्निर्माण विहित फर्श क्षेत्र अनुपात से दस प्रतिशत से अधिक न हो;

(ग) ऐसा सन्निर्माण राज्य सरकार द्वारा पर्वतीय स्थल के रूप में या पर्यटन महत्व के स्थल के रूप में या पारिस्थितिकी के बिन्दु से संवेदनशील रूप में अधिसूचित क्षेत्र के भीतर नहीं आता है;

(घ) ऐसा सन्निर्माण वाहनों की पार्किंग करने के लिए विनिर्दिष्ट क्षेत्र के भीतर नहीं आता है;

(ङ) ऐसा सन्निर्माण सड़क की सीमाओं के भीतर या सार्वजनिक सड़क के संरेखण को प्रभावित करने वाले क्षेत्र के भीतर नहीं आता है;

(च) ऐसा सन्निर्माण टैंक्स (तालाबों) के लिए विनिर्दिष्ट क्षेत्र के भीतर नहीं आता है;

(छ) ऐसा सन्निर्माण नदी किनारे से तीस मीटर के भीतर या ऐसी और अतिरिक्त दूरी के भीतर नहीं आता है जो मास्टर प्लान क्षेत्र में विनिर्दिष्ट की जाए;

(ज) ऐसा सन्निर्माण किसी नाले और जल धारा के क्षेत्र के भीतर नहीं आता है:

परंतु प्रकरणों का शमन करने में अप्राधिकृत सन्निर्माण के क्षेत्र के संबंध में संबद्ध क्षेत्र के लिए शुल्क कलेक्टर मुद्रांक द्वारा अवधारित भूमि के विक्रय की प्रचलित दर के आधार पर निम्नानुसार प्रभारित किया जाएगा :—

(क) यदि सन्निर्माण, एक सौ वर्ग मीटर के भूखण्ड से संबंधित है, तो आवासीय भवन के संबंध में विक्रय की दर का दस प्रतिशत तथा गैर आवासीय भवनों/निर्माण के संबंध में विक्रय की दर का पन्द्रह प्रतिशत;

(ख) यदि सन्निर्माण एक सौ वर्ग मीटर से अधिक किन्तु दो सौ वर्ग मीटर से अनधिक के भूखण्ड से संबंधित है, तो आवासीय भवन के संबंध में विक्रय की दर का बीस प्रतिशत तथा गैर आवासीय भवन के संबंध में विक्रय की दर का तीस प्रतिशत;

(ग) यदि सन्निर्माण दो सौ वर्ग मीटर से अधिक किन्तु तीन सौ पचास वर्ग मीटर से अनधिक के भूखण्ड से संबंधित है, तो आवासीय भवनों के संबंध में विक्रय की दर का तीस प्रतिशत तथा गैर आवासीय भवन के संबंध में विक्रय की दर का पैंतालीस प्रतिशत;

(घ) यदि सन्निर्माण, तीन सौ पचास वर्ग मीटर से अधिक के भूखण्ड से संबंधित है, तो आवासीय भवनों के संबंध में विक्रय की दर का पचास प्रतिशत तथा गैर आवासीय भवनों के संबंध में विक्रय की दर का पचहत्तर प्रतिशत:

परंतु यह भी कि इस धारा में अन्तर्विष्ट कोई भी बात किसी ऐसे व्यक्ति पर लागू नहीं होगी, जिसका उस भवन या भूमि पर कोई अधिकार नहीं है जिस पर कि ऐसा सन्निर्माण किया गया है.

(2) उप-धारा (1) के अंतर्गत शमन शुल्क केवल अप्राधिकृत सन्निर्माण पर लगेगा, न कि संपूर्ण भवन पर."

धारा 332 का संशोधन. 33. मूल अधिनियम की धारा 332 की उप-धारा (4) में, शब्द "पचास रुपये तक हो सकता है" एवं "पांच रुपये तक हो सकता है" के स्थान पर क्रमशः शब्द "अनुसूची-दो के अनुसार होगा" एवं "अनुसूची-दो के अनुसार होगा" प्रतिस्थापित किया जाए.

धारा 334 का संशोधन. 34. मूल अधिनियम की धारा 334 में, शब्द "दस रुपये तक हो सकता है" के स्थान पर शब्द "अनुसूची-दो के अनुसार होगा" प्रतिस्थापित किया जाए.

धारा 335 का संशोधन. 35. मूल अधिनियम की धारा 335 की उप-धारा (1) में, शब्द "बीस रुपये तक हो सकता है" के स्थान पर शब्द "अनुसूची-दो के अनुसार होगा" प्रतिस्थापित किया जाए.

धारा 336 का संशोधन. 36. (एक) मूल अधिनियम की धारा 336 की उप-धारा (1) में, शब्द "पचास रुपये तक का हो सकता है" के स्थान पर शब्द "अनुसूची-दो के अनुसार होगा" प्रतिस्थापित किया जाए.

(दो) की धारा 336 की उप-धारा (2) में, शब्द "एक सौ रुपये तक हो सकता है" के स्थान पर शब्द "अनुसूची-दो के अनुसार होगा" प्रतिस्थापित किया जाए.

धारा 340 का संशोधन. 37. मूल अधिनियम की धारा 340 की उप-धारा (1) में, शब्द "बीस रुपये तक हो सकता है" के स्थान पर शब्द "अनुसूची-दो के अनुसार होगा" प्रतिस्थापित किया जाए.

धारा 341 का संशोधन. 38. मूल अधिनियम की धारा 341 में, शब्द "पांच रुपये तक हो सकता है" के स्थान पर शब्द "अनुसूची-दो के अनुसार होगा" प्रतिस्थापित किया जाए.

धारा 343 का संशोधन. 39. मूल अधिनियम की धारा 343 की उप-धारा (3) में, शब्द "पचास रुपये" एवं "पांच रुपये" के स्थान पर क्रमशः शब्द "पांच सौ रुपये" एवं "पचास रुपये" प्रतिस्थापित किया जाए.

धारा 344 का संशोधन. 40. मूल अधिनियम की धारा 344 में, शब्द "बीस रुपये तक हो सकता है" के स्थान पर शब्द "अनुसूची-दो के अनुसार होगा" प्रतिस्थापित किया जाए.

धारा 345 का संशोधन. 41. मूल अधिनियम की धारा 345 में, शब्द "पचास रुपये तक हो सकता है" के स्थान पर शब्द "अनुसूची-दो के अनुसार होगा" प्रतिस्थापित किया जाए.

धारा 346-अ का संशोधन. 42. मूल अधिनियम की धारा 346-अ में शब्द "पच्चीस रुपये तक हो सकता है" के स्थान पर शब्द "अनुसूची-दो के अनुसार होगा" प्रतिस्थापित किया जाए.

धारा 356 का संशोधन. 43. मूल अधिनियम की धारा 356 के खण्ड (आ) में, शब्द "बीस रुपये तक हो सकता है" के स्थान पर शब्द "अनुसूची-दो के अनुसार होगा" प्रतिस्थापित किया जाए.

धारा 357 का संशोधन. 44. मूल अधिनियम की धारा 357 में, शब्द "बीस रुपये तक हो सकता है" के स्थान पर शब्द "अनुसूची-दो के अनुसार होगा" प्रतिस्थापित किया जाए.

धारा 358 का संशोधन. 45. मूल अधिनियम की धारा 358 में, शब्द "पचास रुपये तक हो सकता है" के स्थान पर शब्द "अनुसूची-दो के अनुसार होगा" प्रतिस्थापित किया जाए.

46. (एक) मूल अधिनियम की धारा 360 की उप-धारा (1) में, शब्द "पचास रुपये से अधिक न हो" के स्थान पर शब्द "अनुसूची-दो के अनुसार होगा" प्रतिस्थापित किया जाए. — धारा 360 का संशोधन.

(दो) धारा 360 की उप-धारा (3) में, शब्द "एक सौ रुपये तक का हो सकता है" के स्थान पर शब्द "अनुसूची-दो के अनुसार होगा" प्रतिस्थापित किया जाए.

(तीन) धारा 360 की उप-धारा (5) में, शब्द "एक सौ रुपये तक का हो सकता है" के स्थान पर शब्द "अनुसूची-दो के अनुसार होगा" प्रतिस्थापित किया जाए.

47. मूल अधिनियम की धारा 361 में, शब्द "एक सौ रुपये से अधिक न हो" के स्थान पर शब्द "अनुसूची-दो के अनुसार होगा" प्रतिस्थापित किया जाए. — धारा 361 का संशोधन.

48. मूल अधिनियम की धारा 362 की उप-धारा (2) में, शब्द "पांच सौ रुपये" एवं "पचास रुपये" के स्थान पर क्रमशः शब्द "पांच हजार रुपये" एवं "पांच सौ रुपये" प्रतिस्थापित किया जाए. — धारा 362 का संशोधन.

49. मूल अधिनियम की धारा 363 में, शब्द "पच्चीस रुपये से अधिक नहीं होगा" के स्थान पर शब्द "अनुसूची-दो के अनुसार होगा" प्रतिस्थापित किया जाए. — धारा 363 का संशोधन.

50. मूल अधिनियम की धारा 399 में, शब्द "पचास रुपये तक हो सकता है" के स्थान पर शब्द "अनुसूची-दो" के अनुसार होगा" प्रतिस्थापित किया जाए. — धारा 399 का संशोधन.

51. (एक) मूल अधिनियम की धारा 428 की उप-धारा (1) के खण्ड (ए) में, शब्द "पांच सौ रुपये" एवं "दस रुपये" के स्थान पर क्रमशः शब्द "पांच हजार रुपये" एवं "एक सौ रुपये" प्रतिस्थापित किया जाए. — धारा 428 का संशोधन.

(दो) धारा 428 की उप-धारा (1) के खण्ड (आ) में, शब्द "दस रुपये तक का हो सकता है" के स्थान पर शब्द "अनुसूची-दो के अनुसार होगा" प्रतिस्थापित किया जाए.

52. मूल अधिनियम की धारा 433 की उप-धारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात् :— — धारा 433 का संशोधन.

"(3) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए समस्त नियम विधानसभा जब सत्र में हो, के पटल पर यथाशीघ्र रखे जाएंगे किन्तु अधिसूचना की तारीख के ठीक आगामी सत्र के अधिसूचित अंतिम दिन के बाद नहीं होगा."

53. मूल अधिनियम की धारा 434 की उप-धारा (2) की विद्यमान सारणी के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :— — धारा 434 का संशोधन.

"तालिका

धारा, उप-धारा या खण्ड	विषय वस्तु का संक्षिप्त उल्लेख	ऐसा अधिकतम अर्थदंड जो अधिरोपित किया जा सकेगा	ऐसा दैनिक अर्थदंड जो निरंतर प्रकार के अपराध की दशा में अधिरोपित किया जा सकेगा
(1)	(2)	(3)	(4)
धारा 203	जल-निकासों के बिना नवीन भवनों का निर्माण न किया जाना.	पांच हजार रुपये	दो सौ रुपये

(1)	(2)	(3)	(4)
धारा 205 उप-धारा (1)	भूमि के स्वामी द्वारा अन्य व्यक्तियों को उस भूमि में होकर जल-निकास निकालने के लिए अनुज्ञा देना.	पांच सौ रुपये	पचास रुपये
धारा 206	जल-निकास का स्वामी अन्य व्यक्तियों को उसका उपयोग करने या उसमें संयुक्त स्वामित्व रखने की अनुज्ञा देगा.	पांच सौ रुपये	पचास रुपये
धारा 208	किसी जल-निकास के उपयोग या संयुक्त स्वामित्व के संबंध में आयुक्त की आज्ञा का प्रतिरोध.	पांच सौ रुपये	एक सौ रुपये
धारा 209	संयुक्त रूप से गृहोपान्तों के जल को निकालने के संबंध में आयुक्त का प्रतिरोध.	पांच सौ रुपये	एक सौ रुपये
धारा 210	जल-निकासों की रचना करने में आयुक्त का प्रतिरोध या किसी स्वामी में वेष्टित जल निकास के किसी भाग को व्यवस्थित न रखना तथा उसकी मरम्मत न करना.	पांच सौ रुपये	पचास रुपये
धारा 211	जल-निकासों की हवा की व्यवस्था के लिए हवा निकलने के साधनों या नलों को लगाने में आयुक्त का प्रतिरोध.	पांच सौ रुपये	एक सौ रुपये
धारा 246	आयुक्त की अनुज्ञा के बिना कारखाने आदि की स्थापना.	पांच सौ रुपये	पांच सौ रुपये
धारा 248	भयंकर या उद्वेजक वस्तुओं का संग्रह या भयंकर या उद्वेजक व्यापारों का किया जाना.	पांच हजार रुपये	पांच सौ रुपये
धारा 254 उप-धारा (1)	आज्ञा के बिना निजी बाजार खुला रखना.	दो हजार पांच सौ रुपये	दो सौ पचास रुपये
धारा 254 उप-धारा (2)	अनुज्ञा के बिना निजी बाजार की स्थापना, हटाया जाना, पुनः खोलना, पुनःस्थापना या वृद्धि करना.	पांच हजार रुपये	पांच सौ रुपये
धारा 255	अनुमति पत्र के बिना बाजार के बाहर पशुओं, गोश्त आदि का विक्रय.	एक हजार रुपये	पांच सौ रुपये

(1)	(2)	(3)	(4)
धारा 257 उप-धारा (3)	नगरपालिक वधशालाओं के बाहर अनुज्ञा के बिना पशुओं का वध.	प्रांच हजार रुपये	—
धारा 259	मानव खाद्य के लिए अभिप्रेत रोगग्रस्त या अस्वास्थ्यकर पशु या वस्तु का विक्रय.	प्रथम अपराध के लिए एक हजार रुपये तथा किसी पश्चात्वर्ती अपराध के लिए पांच हजार रुपये.	—
धारा 260	ऐसे स्थान पर जहां मक्खन, घी आदि तैयार किया जाता हो, अपमिश्रकों का रखा जाना.	एक हजार रुपये	—
धारा 261	ऐसी विज्ञापित वस्तु का विक्रय आदि जो नियत प्रामाणिक प्रकार की शुद्धता की न हो.	प्रथम अपराध के लिए एक हजार रुपये तथा किसी पश्चात्वर्ती अपराध के लिए पांच हजार रुपये.	—
धारा 262	नकली वस्तुओं का विक्रय आदि.	प्रथम अपराध के लिए एक हजार रुपये तथा किसी पश्चात्वर्ती अपराध के लिए पांच हजार रुपये.	—
धारा 267 उप-धारा (3)	हस्तगत किए गए अभिरक्षण में छोड़े गए पशु, खाद्य, पेय, औषध आदि का हटाया जाना, उसके साथ छेड़छाड़ या गड़बड़ करना.	एक हजार रुपये	—
धारा 272	भयंकर रोग के अस्तित्व के संबंध में जानकारी का न दिया जाना.	पांच हजार रुपये	—
धारा 289 उप-धारा (1) खण्ड (अ), (आ) तथा (ई)	अनुज्ञा के बिना मुर्दे गाड़ने का निषेध.	पांच हजार रुपये	—
धारा 289 उप-धारा (1) खण्ड (इ)	किसी ऐसे अन्य स्थान पर शव का गाड़ा जाना या जलाया जाना जो श्मशान या कब्रिस्तान न हो.	पांच हजार रुपये	—
धारा 291	किसी नगर निर्माण योजना के उल्लंघन में किसी भवन का निर्माण या पुनर्निर्माण.	पांच हजार रुपये	पांच सौ रुपये

(1)	(2)	(3)	(4)
धारा 293	आयुक्त की अनुज्ञा के बिना भवनों के निर्माण या पुनर्निर्माण का निषेध.	पांच हजार रुपये	पांच सौ रुपये
धारा 301 उप-धारा (1)	भवन पूरा होने के संबंध में आयुक्त को सूचना-पत्र का दिया जाना.	पांच सौ रुपये	—
धारा 301 उप-धारा (4)	आयुक्त की अनुज्ञा के बिना नवीन या पुनर्निर्मित भवन के अधिवास का निषेध.	पांच हजार रुपये	एक सौ रुपये
धारा 309 उप-धारा (3)	ऐसे भवन में प्रवेश करना या रहना जो मानव निवास के लिए अनुपयुक्त घोषित कर दिया गया है.	पांच हजार रुपये	एक सौ रुपये
धारा 310 उप-धारा (1)	नष्टप्राय या भयप्रद स्थिति में होने वाले भवन को हटाने या मरम्मत करने की मांग.	पांच सौ रुपये	पचास रुपये
धारा 310 उप-धारा (3)	ऐसे नष्टप्राय या भयप्रद स्थिति में होने वाले भवन में प्रवेश करना या उसमें रहना, जिससे अधिवासी हटा दिए गए हैं.	दो हजार रुपये	एक सौ रुपये
धारा 318 उप-धारा (1)	सड़कों आदि पर प्रलम्बनों का निषेध.	दो हजार रुपये	एक सौ रुपये
धारा 318 उप-धारा (2)	उनको हटाने की मांग	दो हजार रुपये	एक सौ रुपये
धारा 324	सड़कों या मार्गों आदि पर खुलने वाले पहली मंजिल के दरवाजों आदि में परिवर्तन करने की मांग.	एक हजार रुपये	एक सौ रुपये
धारा 325	सड़कों आदि पर प्रलम्बनों को हटाने की मांग.	दो हजार रुपये	पांच सौ रुपये
धारा 328 उप-धारा (1)	आयुक्त की अनुज्ञा के अनुसार के अतिरिक्त अन्यथा निजी सड़क की योजना बनाना.	पांच हजार रुपये	पांच सौ रुपये"

धारा 435 का संशोधन. 54. मूल अधिनियम की धारा 435 में, शब्द "एक हजार रुपये तक का हो सकता है" के स्थान पर शब्द "अनुसूची-दो के अनुसार होगा" प्रतिस्थापित किया जाए.

धारा 437 का संशोधन. 55. मूल अधिनियम की धारा 437 में, शब्द "एक हजार रुपये तक का हो सकता है" के स्थान पर शब्द "अनुसूची-दो के अनुसार होगा" प्रतिस्थापित किया जाए.

56. मूल अधिनियम की धारा 438 में, शब्द "या ऐसे अर्थदण्ड से अथवा दोनों से" के स्थान पर शब्द "या ऐसे अर्थदण्ड से जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से" प्रतिस्थापित किया जाए. — **धारा 438 का संशोधन.**

57. मूल अधिनियम की धारा 439 की उप-धारा (1) में, शब्द "या ऐसे अर्थदण्ड से अथवा दोनों से" के स्थान पर शब्द "या ऐसे अर्थदण्ड से जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से" प्रतिस्थापित किया जाए. — **धारा 439 का संशोधन.**

58. मूल अधिनियम की धारा 440 में, शब्द "पचास रुपये" एवं "बीस रुपये" के स्थान पर क्रमशः शब्द "एक हजार रुपये" एवं "दो सौ रुपये" प्रतिस्थापित किया जाए. — **धारा 440 का संशोधन.**

59. मूल अधिनियम की धारा 443 के पश्चात्, परिशिष्ट को "अनुसूची-एक" के रूप में पुनःक्रमांकित किया जाए. — **परिशिष्ट का अनुसूची के रूप में पुनःक्रमांकन.**

60. मूल अधिनियम की अनुसूची-एक के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात् :— — **नई अनुसूची का अन्तः स्थापन.**

"अनुसूची-दो

धारा, उप-धारा या खण्ड (1)	विषय वस्तु का संक्षिप्त उल्लेख (2)	ऐसा अधिकतम अर्थदण्ड जो अधिरोपित किया जा सकेगा (3)
धारा 142 उप-धारा (3)	निर्धारण कार्य में जानबूझकर विलंब करना या बाधा डालना.	एक हजार रुपये
धारा 165 उप-धारा (2)	कर की देनदारी के संबंध में असत्य जानकारी देना या लोप करना.	पांच हजार रुपये
धारा 166	स्वामी के संबंध में गलत जानकारी देना	पांच हजार रुपये
धारा 200	मलवहन आदि को सड़क या सार्वजनिक स्थान पर बहाना.	पांच सौ रुपये
धारा 201	प्राधिकार के बिना जल निकासों का निर्माण या उनमें परिवर्तन.	पांच सौ रुपये
धारा 236 उप-धारा (2)	अनुज्ञा के बिना मुख्य केबल, पाइप, निकास आदि से संयोजन करना.	पांच सौ रुपये
धारा 257 उप-धारा (5)	अप्राधिकृत स्थान में विक्रय हेतु पशु का वध करना.	दो हजार रुपये
धारा 258 उप-धारा (4)	देख-रेख में पशु की मृत्यु की स्थिति में निश्क्रियता.	एक सौ रुपये
धारा 272 खण्ड (इ)	भयंकर रोग के संबंध में सूचना देने में विफलता	पांच सौ रुपये

(1)	(2)	(3)
धारा 334	दिशासूचक-स्तंभों, दीप-स्तंभों आदि का नष्ट किया जाना.	एक हजार रुपये
धारा 335 उप-धारा (1)	अनुज्ञा के बिना पर्चों का चिपकाया जाना	दो सौ रुपये
धारा 336 उप-धारा (1)	अशिष्ट या अश्लील चित्र या मुद्रित या लिखित विषय-वस्तु.	एक हजार रुपये
धारा 336 उप-धारा (2)	अशिष्ट या अश्लील चित्र प्रदर्शन हेतु सौंपना	एक हजार रुपये
धारा 340 उप-धारा (1)	अनुज्ञा के बिना पशुओं का बांधा जाना	दो सौ रुपये
धारा 341	समुचित प्रकाश के बिना वाहन चलाना	पचास रुपये
धारा 344	आग्नेय-अस्त्रों का चलाया जाना	एक हजार रुपये
धारा 345	खदान खनन, सुरंग लगाना, इमारती लकड़ी काटना या भवन निर्माण.	पांच सौ रुपये
धारा 346-अ	नाली या पात्र के अतिरिक्त अन्य किसी भी स्थान में थूकना.	दो सौ पचास रुपये
धारा 356 खण्ड (अ)	मुख्य-बंधनी के बिना कुत्तों को घूमने देना	दो सौ रुपये
धारा 357	हाथियों आदि का नियंत्रण नहीं करना	दो सौ रुपये
धारा 358	घोड़े या अन्य पशु को खुला छोड़ना	पांच सौ रुपये
धारा 360 उप-धारा (1)	भिक्षा मांगना	पांच सौ रुपये
धारा 360 उप-धारा (3)	भिक्षा मांगना	एक हजार रुपये
धारा 360 उप-धारा (5)	भिक्षा मांगना	एक हजार रुपये
धारा 361	भिक्षावृत्ति करवाना	एक हजार रुपये
धारा 363	अवैध रूप से व्यभिचार गृह का संचालन	पांच सौ रुपये
धारा 399	अधिनियम के प्रवर्तन का अधिवासी द्वारा विरोध	पांच सौ रुपये

(1)	(2)	(3)
धारा 428 उप-धारा (1) खण्ड (आ)	उपविधियों के उल्लंघन के लिए शास्ति	एक सौ रुपये
धारा 435	कतिपय अपराधों के लिए दण्ड	पांच हजार रुपये
धारा 437	शक्तियों के प्रयोग करने में बाधा पहुंचाने हेतु शास्ति.	पांच हजार रुपये

उद्देश्यों एवं कारणों का कथन

नगरपालिकायें, नागरिकों के जीवन को प्रभावित करने वाली शासी-संस्थायें हैं. निगम में सुशासन तथा दक्षतापूर्ण कार्य के लिये कुछ सुधारों की आवश्यकता प्रतीत हुई है. इसके लिये छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्र. 23 सन् 1956) में कुछ संशोधन आवश्यक हैं. ये संशोधन निगम के पार्षद, अध्यक्ष और समितियों के अध्यक्ष, तथा निगम की कार्य संचालन की प्रणाली से संबंधित हैं. निगमों की जवाबदेही सुनिश्चित करने तथा योजनाओं और परियोजनाओं के क्रियान्वयन में नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने निकायों द्वारा किये जाने वाले कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण का प्रावधान आवश्यक प्रतीत होता है. राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण नीति के अनुसार बेहतर नगरपालिक सेवाओं की मांग करने नागरिकों का सशक्तिकरण तथा निकाय को स्व-पोषित बनाने के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि अधिनियम के वर्तमान प्रावधानों में कुछ संशोधन किया जावे. अधिनियम के विद्यमान प्रावधानों के अंतर्गत विभिन्न विषयों हेतु प्रक्रिया तथा कार्यप्रणाली को सरल बनाने तथा उसे एक धारा में लाने के लिए व्यापक जनहित में ऐसा किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है, इसकी प्राप्ति हेतु छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) में संशोधन आवश्यक है तथा प्रस्तावित विधेयक से उपरोक्त उल्लिखित उद्देश्यों की प्राप्ति आशयित है.

2. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर
दिनांक 30 मार्च, 2012

अमर अग्रवाल
नगरीय प्रशासन मंत्री
(भारसाधक सदस्य)

उपाबंध

छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक सन् 1956) की जिन धाराओं में संशोधन किया जाना है उनके सुसंगत उद्धरण—

* * * * * * * * * * * * * *

धारा 5 **परिभाषाएं**

उपधारा (18-क) "जिला" का यही अर्थ होगा जो उसे छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 में दिया गया है.

उपधारा (19) "जिला-न्यायालय" से तात्पर्य उस जिला न्यायालय से है, जिसकी रचना उस जिले के लिए की गई हो, जिसके अंतर्गत वह नजर आता हो;

उपधारा (49) "सार्वजनिक सड़क" से तात्पर्य किसी भी ऐसी सड़क से है—

(अ) जिसके ऊपर जनता को मार्ग का स्वत्व प्राप्त हो; या

(आ) जो इसके पूर्व नगरपालिका या अन्य सार्वजनिक निधियों से, समतल, खरंजेयुक्त, पक्की, एस्फाल्टयुक्त, नालीयुक्त या मोरीयुक्त की गई हो या जिसकी मरम्मत की गई हो; या

(इ) जो इस अधिनियम के आदेशों के अधीन सार्वजनिक सड़क हो जाए; और उसमें सम्मिलित है —

(एक) किसी भी सार्वजनिक पुल या रपट के ऊपर का मार्ग;

(दो) किसी भी ऐसी सड़क से संलग्न पाद मार्ग;

(तीन) सार्वजनिक पुल या रपट, और किसी भी ऐसी सड़क सार्वजनिक पुल या रपट से संलग्न जल-निकास;

उपधारा (54-क) "राज्य निर्वाचन आयोग" से अभिप्रेत है संविधान के अनुच्छेद 243-ट के अधीन गठित राज्य निर्वाचन आयोग;

उपधारा (57) "यातायात चिन्ह" में समस्त संकेत, चेतावनी देने वाले चिन्ह स्तम्भ, निर्देश स्तम्भ, चिन्ह या अन्य साधन सम्मिलित हैं, जिनका निर्माण ऐसा करने के लिये विधि द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा मार्गों का उपयोग करने वाले व्यक्तियों की या चक्र चालित तथा अन्य यातायात की जानकारी, पथ-दर्शन या दिशा-निर्देश के लिये किया गया हो;

* * * * * * * * * * * * * *

धारा 19 पार्षदों का हटाया जाना

उपधारा (1) (1) संचालक, नगरीय नियोजन एवं विकास, किसी भी निर्वाचित किये गये पार्षद को किसी भी समय हटा सकेगा—

(अ) यदि पार्षद के रूप में उसका बना रहना संचालक, नगरीय नियोजन एवं विकास, के मत में सार्वजनिक या निगम के हित में वांछनीय न हो;

धारा 19-ख महापौर या अध्यक्ष या किसी समिति के अध्यक्ष का हटाया जाना

उपधारा (1) (1) राज्य सरकार, महापौर या अध्यक्ष या किसी समिति के अध्यक्ष को किसी भी समय हटा सकेगी, यदि यथास्थिति महापौर या अध्यक्ष या किसी समिति के अध्यक्ष के रूप में उसका बना रहना, राज्य सरकार की राय में, लोकहित में या निगम के हित में वांछनीय नहीं है या यदि यह पाया जाए कि वह अपने कर्तव्यों को पालन करने में अक्षम है या वह इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये नियमों, के उपबंधों के विपरीत कार्य कर रहा है.

* * * * * * * * * * * * * *

धारा (25-ख) महापौर, अध्यक्ष तथा पार्षदों को पारिश्रमिक तथा भत्ते

महापौर, अध्यक्ष तथा पार्षद ऐसे, पारिश्रमिक या भत्ते या दोनों प्राप्त करने के हकदार होंगे जैसे कि राज्य सरकार विहित करे.

* * * * * * * * * * * * * *

धारा 29 सम्मिलनों को संयोजित करना

उपधारा (2) (2) धारा 18 तथा 23-क में निर्दिष्ट सम्मिलन के सिवाय प्रत्येक सम्मिलन की तारीख अध्यक्ष द्वारा या उसके कार्य कर सकने में असमर्थ होने की दशा में, महापौर द्वारा नियत की जायेगी:

परंतु यदि यथास्थिति अध्यक्ष या महापौर द्वारा सम्मिलन की तारीख नियत न की जाए तो नगरपालिक आयुक्त राज्य सरकार को प्रज्ञापना के अधीन सम्मिलन की तारीख नियत करेगा.

उपधारा (4) (4) सम्मिलन में उससे संबंधित सूचना पत्र में निर्दिष्ट कामकाज के अतिरिक्त अन्य कोई कामकाज, उपस्थित सदस्य संख्या के दो-तिहाई सदस्यों की सहमति के बिना नहीं किया जायेगा.

* * * * * * * * * * * * * *

धारा 53 **कार्यवृत्त पुस्तिका**

(1) निगम के और उसकी समितियों में से किसी भी समिति के प्रत्येक, सम्मिलन की कार्यवाहियों को लेखबद्ध करने वाले कार्यवृत्त और उसमें उपस्थित सदस्यों के नाम, कार्यवृत्त पुस्तिका में, देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी में प्रविष्ट किये जायेंगे और उसी सम्मिलन में या आगामी होने वाले सम्मिलन में उनकी पुष्टि की जायेगी.

(2) निगम के प्रत्येक सम्मिलन की कार्यवाहियों के कार्यवृत्त की एक प्रतिलिपि सम्मिलन से 15 दिन के भीतर शासन को प्रेषित की जायेगी.

(3) इस धारा द्वारा नियम कार्यवृत्त पुस्तिका किसी भी पार्षद के निरीक्षण के लिये निःशुल्क और किसी अन्य व्यक्ति के निरीक्षण के लिये इस संबंध में उपविधियों द्वारा नियत शुल्क के भुगतान पर समस्त उपयुक्त समयों पर नगरपालिका कार्यालय में खुली रहेगी.

* * * * * * * * * * * * * *

धारा 60 **सेवा मुक्ति तथा शास्तियों का आरोपण**

उपधारा (6) (6) उपधारा (2) के चरण (6), (7) तथा (8) में उल्लिखित शास्ति मेयर-इन-कौंसिल द्वारा नियुक्त किसी नगरपालिक पदाधिकारी या सेवक पर राज्य लोक सेवा आयोग से पूर्व परामर्श किये बिना आरोपित नहीं की जावेगी;

किन्तु प्रतिबंध यह है कि मेयर-इन-कौंसिल तथा राज्य लोक सेवा आयोग के बीच मतभेद होने की दशा में, प्रकरण निगम के समक्ष रखा जावेगा. यदि निगम राज्य लोक सेवा आयोग से सहमत हो तदानुसार आज्ञा दी जायगी. अन्य दशाओं में निगम द्वारा शासन से व्यवस्था मांगी जायेगी जिसका निर्णय अंतिम होगा.

* * * * * * * * * * * * * *

धारा 68 **शासन द्वारा निगम को कतिपय कार्यों का सौंपा जाना**

उपधारा (1) (1) शासन परिशिष्ट में निर्दिष्ट किसी भी विषय से संबंधित कार्य के संबंध में या किसी अन्य ऐसे विषय के संबंध में, जो राज्य के कार्यपालिक प्राधिकारी के अंतर्गत आता हो, या जिसके संबंध में कार्य केन्द्रीय शासन द्वारा राज्य शासन को सौंपे गये हो कार्य निगम को सप्रतिबंध या बिना प्रतिबंध के सौंप सकेगा, और निगम इन कार्यों का सम्पादन करने के लिये आबद्ध होगा.

* * * * * * * * * * * * * *

धारा 130-ख **आंतरिक संपरीक्षण.**— राज्य सरकार अथवा परिषद्, के दैनंदिन लेखा के आंतरिक संपरीक्षण हेतु उपबंध कर सकेगी.

* * * * * * * * * * * * * *

धारा 132 **इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित किये जाने वाले कर**

उपधारा (1) (1) इस अधिनियम के प्रयोजन के लिये, निगम किसी साधारण या विशेष आदेश जो राज्य सरकार इस निमित्त करे, अध्यधीन रहते हुए सम्पूर्ण नगरपालिक क्षेत्र में या उसके किसी भाग में, निम्नलिखित कर अधिरोपित करेगा, अर्थात् —

(क) धारा 135, 136 तथा 138 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए कर, जो नगर के भीतर स्थित भवनों या भूमियों के स्वामियों द्वारा भवनों या भूमियों के स्वामियों द्वारा भवन या भूमि के सम्पूर्ण वार्षिक भाड़ा मूल्य के संबंध में देय होगा, जो सम्पत्ति कर कहलाएगा;

(ख) उन भूमियों तथा भवनों के संबंध में जल कर, जिन्हें जल प्रदाय नगरपालिक जल संकर्म से किया जाता है या जो उनसे पाईप द्वारा संयोजित है:

(ग) सार्वजनिक शौचालयों के सन्निर्माण तथा अनुरक्षण के लिए तथा मल के व्ययन तथा शहर की सामान्य सफाई के लिए सामान्य स्वच्छता उपकर;

(घ) सामान्य प्रकाश कर, जहां सार्वजनिक पदों तथा स्थानों की प्रकाश व्यवस्था निगम द्वारा हाथ में ली गई है;

(ङ) अग्नि शमन सेवा के संचालन तथा प्रबंध के लिए तथा आग लगने की दशा में, जीवन तथा संपत्ति के संरक्षण के लिए सामान्य अग्नि कर;

(च) नगरपालिक क्षेत्र के भीतर उपयोग/उपयोग या विक्रय के लिए प्रवेश किए गए ऐसे माल पर, जो राज्य सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा घोषित किया जाए, उसके (माल के) मूल्य के चार प्रतिशत से अनधिक दर पर स्थानीय निकाय कर :

परंतु कोई स्थानीय निकाय कर उस माल पर:

(एक) जो किसी व्यक्ति द्वारा अपने व्यक्तिगत उपयोग या उपभोग के लिए नगरपालिक क्षेत्र में लाया गया है;

(दो) जो रजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा नगरपालिक क्षेत्र में लाया गया है और उसके पन्द्रह दिन के भीतर—

(क) किसी अन्य स्थानीय निकाय के रजिस्ट्रीकृत व्यापारी को, या

(ख) भारत के राज्य क्षेत्र के बाहर निर्यात के अनुक्रम में, या

(ग) राज्य के बाहर अंतर्राज्यिक व्यापार के अनुक्रम में, पारेषित किया गया है.

स्पष्टीकरण :— इस खण्ड के प्रयोजन के लिए अभिव्यक्ति "रजिस्ट्रीकृत व्यापारी" का वही अर्थ होगा जो उसे मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995) में दिया गया है, या

(तीन) जो मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्रमांक 52 सन् 1976) की अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया गया है, उदग्रहीत नहीं किया जाएगा.

(2) उपधारा (1) के खण्ड (च) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि राज्य सरकार की राय में, ऐसा करना समीचीन है, तो वह निगम को यह शक्ति प्रत्यायोजित कर सकेगी कि वह उस माल की तथा उनके दरों की घोषणा करे जिस पर स्थानीय निकाय कर उद्ग्रहीत किया जाएगा.

(3) स्थानीय निकाय कर के निर्धारण तथा संग्रहण की रीति ऐसी होगी, जैसी कि विहित की जाए.

(4) उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन जलकर—

(क) उन भवनों तथा भूमियों, पर जो संपत्ति कर से छूट प्राप्त है ऐसी न्यूनतम दर जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए दर पर जो निगम द्वारा अवधारित की जाए,

(ख) उन भवनों तथा भूमियों पर, जो संपत्ति कर से छूट प्राप्त नहीं है ऐसी न्यूनतम दर, जो कि खंड (क) में अवधारित है तथा संपत्ति कर के ऐसे प्रतिशत पर जो निगम द्वारा अवधारित किया जाएगा प्रभारित किया जाएगा:

परंतु उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन जलकर, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के स्वामित्व के भवन तथा भूमि पर उनके जीवनकाल के दौरान उद्ग्रहीत नहीं किया जाएगा, यदि उन्हें आयकर से छूट प्राप्त है और जल संयोजन घरेलू प्रयोजन के लिए तथा जो आधा इंच के संयोजन से अधिक नहीं है.

(5) उपधारा (1) के खंड (ग), (घ) तथा (ङ) के अधीन कर समेकित दर पर निम्नानुसार उद्ग्रहीत किया जाएगा :—

(क) उन भवनों तथा भूमियों पर जो संपत्ति कर से छूट प्राप्त है ऐसी न्यूनतम दर जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए ऐसी दर पर जो निगम द्वारा अवधारित की जाए,

(ख) उन भवनों तथा भूमियों पर, जो संपत्ति कर से छूट प्राप्त नहीं है, ऐसी न्यूनतम दर पर जो कि खंड (क) के अधीन विहित की गई है तथा संपत्ति कर के ऐसे प्रतिशत पर, जो निगम द्वारा अवधारित किया जाए.

(6) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट करों के अतिरिक्त, निगम इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, ऐसे किसी साधारण या विशेष आदेश के अध्यधीन रहते हुए जिसे राज्य सरकार इस निमित्त पारित करे, निम्नलिखित करों में से कोई कर अधिरोपित कर सकेगी, अर्थात् :—

(क) निजी संडासों, शौचालयों या चहबच्चों पर या खुले गृह-परिसरों या आहातों पर, जिनकी सफाई निगम एजेन्सी द्वारा की जाती है, उनके दखलकार या स्वामी द्वारा देय संडास या मलवाहन कर,

(ख) जल-निकास-कर जहां जल-निकास-पद्धति आरंभ कर दी गई है,

(ग) नगर के भीतर कोई भी व्यवसाय या कलोपजीवी व्यक्तियों पर या कोई भी व्यापार करने वाले या धंधा करने वाले व्यक्तियों पर कर;

(घ) सवारी करने, चलाने, खीचने या बोझा ढोहने के लिए उपयोग में आने वाले समस्त वाहनों या पशुओं या कुत्तों पर उनके स्वामी द्वारा देयकर, जहां ऐसे वाहनों, पशुओं या कुत्तों का उपयोग शहर के भीतर किया जाता है, भले ही वे वास्तव में शहर के भीतर रखें जाते हैं या नहीं;

(ङ) यथापूर्वोक्तानुसार शहर में प्रवेश करने वाले ऐसे वाहनों तथा पशुओं पर पथकर जो खण्ड (घ) के अधीन करारोपण के दायी नहीं है;

(च) शहर के भीतर बेचे गये पशुओं के रजिस्ट्रीकरण पर फीस;

(छ) उन व्यक्तियों पर बाजार फीस, जो राज्य सरकार या निगम के या उसके नियंत्रणाधीन किसी बाजार में या किसी स्थान में विक्रय के लिए माल प्रदर्शित करते हैं;

(ज) ऐसी संपत्तियों पर, जिनके मूल्य में, निगम द्वारा अपने जिम्मे ली गई नगर निर्माण योजना के फलस्वरूप वृद्धि हो जाए, सुधार कर;

(झ) निगम की सीमाओं के भीतर तीर्थ-स्थान पर निश्चित समयों पर आने वाले तीर्थ-यात्रियों पर कर;

(ञ) निगम की सीमाओं के भीतर मकानों, भवनों या भूमियों का दखल रखने वाले व्यक्तियों पर उनकी परिस्थितियों तथा संपत्ति के अनुसार कर;

(ट) निगम द्वारा निर्मित किये गये नये पुलों पर पथ-कर;

(ठ) समाचार-पत्रों में प्रकाशित विज्ञापनों के अतिरिक्त अन्य विज्ञापनों पर कर;

(ड) नाट्य शालाओं, रंगमंचीय अभिनयों तथा सार्वजनिक आमोद-प्रमोद के हेतु किए जाने वाले अन्य खेल तमाशों पर कर;

(ढ) निगम की सीमाओं से निर्यात किए गए माल या पशुओं पर सीमा-कर;

(ण) कोई भी अन्य कर, जिसे राज्य सरकार को भारत के संविधान के अधीन अधिरोपित करने की शक्ति प्राप्त हो, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से.

(7) भारत के संविधान के अनुच्छेद 277 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, कोई कर, जो छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम विधि (विस्तार) अधिनियम, 1960 (क्रमांक 13 सन् 1961) के ठीक पूर्व निगम द्वारा विधि पूर्वक उदग्रहित किया जा रहा था, वह इस बात के होते हुए भी कि ऐसा कर उपधारा (1) या (6) के अधीन विनिर्दिष्ट नहीं है, निगम, द्वारा उद्ग्रहीत किया जाता रहेगा.

(8). इस धारा के अधीन किसी कर का अधिरोपण इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए होगा.

(9) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस धारा में विनिर्दिष्ट किसी भी कर की अधिकतम तथा न्यूनतम दर विहित कर सकेगी, जिसके अध्यधीन रहते हुए, निगम ऐसे कर की दर अवधारित करेगा.

(10) इस अध्याय में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी निगम, धारा 136 के खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट संपत्तियों पर उपधारा (1) के खण्ड (ख), (ग) और (घ) और उपधारा (6) के खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट समस्त कर या उनमें से कोई भी कर, उस दर से, जिस पर कि संबंधित खण्डों के अधीन अन्य संपत्तियों पर कर अधिरोपत किया जाता है, अधिक ऐसी दर से अधिरोपित कर सकेगा जो कि राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे.

* * * * * * * * * * * * * *

धारा 134 करों की वसूली

खण्ड (6) (6) सम्पत्ति-कर की दशा में सम्पत्ति संबंधी देय किराये के आसेध द्वारा;

* * * * * * * * * * * * * *

धारा 136 छूट

खण्ड (बी) (बी) भवन तथा भूमियों जिनका वार्षिक मूल्य, छह हजार रुपये ऐसे नगरपालिक क्षेत्र की दशा में, जिसकी जनसंख्या एक लाख या उससे अधिक हो तथा चार हजार आठ सौ रुपये ऐसे नगरपालिक क्षेत्र की दशा में, जिसकी जनसंख्या एक लाख से कम हो:

परन्तु, यदि कोई ऐसा भवन या भूमि किसी ऐसे व्यक्ति के स्वामित्व में हो, जो उसी नगर में किसी अन्य भवन या भूमि का स्वामित्व रखता हो, तो इस खण्ड के प्रयोजनों के लिये, उस नगर में उसके स्वामित्व के समस्त भवनों या भूमियों का संकलित वार्षिक मूल्य ऐसे भवन या भूमि का वार्षिक मूल्य समझा जायेगा.

खण्ड (सी) (सी) भवन तथा भूमियां जो उसके भाग जो अनन्य रूपेण शैक्षिक प्रयोजनों के लिये, जिनके अंतर्गत पाठशालाएं, भोजनावास, छात्रावास तथा पुस्तकालय आते हैं, उपयोग में लाए जाते हों, यदि ऐसे भवन तथा भूमियां या उनके भाग या तो संबंधित शैक्षिक संस्थाओं के स्वामित्व में हो या शैक्षिक संस्थाओं के अधिकार में किसी भाड़े के भुगतान के बिना रखे गये हों;

खण्ड (एफ) (एफ) भवन तथा भूमियां जो विधवाओं या अवयस्कों या ऐसे व्यक्तियों के, जो कि ऐसी शारीरिक निःशक्तता या मानसिक दौर्बल्य के अध्यधीन हों, जिनके कारण वे अपनी आजीविका उपार्जित करने में असमर्थ हों, स्वामित्व की हों, जहां कि ऐसी विधवाओं या अवयस्कों या व्यक्तियों के भरण-पोषण का प्रमुख स्रोत ऐसे भवनों तथा भूमियों से व्युत्पन्न भाड़ा हो:

परंतु ऐसी छूट भवन तथा भूमियों के वार्षिक मूल्य के केवल प्रथम बारह हजार रुपये से संबंधित होगी.

खण्ड (एच) (एच) भवन तथा भूमियां, जो नेत्रहीन व्यक्तियों, परित्यक्ता स्त्रियों और मानसिक रूप से अशक्त व्यक्तियों के स्वामित्व की हों, यदि इस निमित्त पर्याप्त प्रमाण प्रस्तुत कर दिया जाए और यदि उनके भरण-पोषण का प्रमुख स्रोत ऐसे भवनों तथा भूमियों से व्युत्पन्न भाड़ा हो.

खण्ड (जे) (जे) छत्तीसगढ़ विद्युत मण्डल द्वारा लगाये गये बिजली के खम्भे.

* * * * * * * * * * * * * *

धारा 137 **सम्पत्ति कर पर छूट**

(1) धारा 135 और 136 में कोई भी बात निहित क्यों न हों, निगम उचित समझे तो ठहराव द्वारा यह निर्देश दे सकेगा कि ऐसी छूट जो सवा छः प्रतिशत से अधिक नहीं होगी, प्रत्येक ऐसे व्यक्ति से प्राप्त धनराशि पर दी जायेगी, जो देय कर ऐसे दिनांक से पूर्व भुगतान कर देता है, जो कि निगम नियत करे:

किन्तु प्रतिबंध यह है कि छूट ऐसे समस्त व्यक्तियों को, जो कि उसके लिये स्वत्वाधिकारी हों, उसी दर से दी जायेगी.

(2) किन्तु निगम किसी भी समय इस धारा के अधीन ठहराव को निरस्त कर सकेगा.

* * * * * * * * * * * * * *

धारा 138 **भूमि या भवन का वार्षिक भाड़ा मूल्य**

उपधारा (1) (1) इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी भूमि या भवन का, चाहे उससे आमदनी होती है या नहीं, भाड़ा मूल्य यथास्थिति किसी भवन के निर्मित क्षेत्र या किसी भूमि के प्रति वर्गफुट के आधार पर उस क्षेत्र पर, जिसमें ऐसा भवन या भूमि स्थित है, उसकी अवस्थिति, स्थिति, वह प्रयोजन जिसके कि लिये उसका उपयोग किया जाता है, उसका लाभप्रद उपयोग करने वाले व्यक्ति के लिये उसकी (भवन/भूमि की) क्षमता, भवन के संनिर्माण की गुणवत्ता तथा अन्य सुसंगत तथ्यों पर विचार करते हुए और ऐसे नियमों के, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा बनाए जाए, अध्यधीन रहते हुए इस निमित्त अंगीकृत किये गये निगम के संकल्प के अनुसार अवधारित किया जायेगा.

उपधारा (2) (2) उपधारा (1) के अधीन निगम द्वारा अंगीकृत किये गये संकल्प के आधार पर, भूमि या भवन का प्रत्येक स्वामी, अपनी भूमि या भवन का वार्षिक भाड़ा मूल्य निर्धारित करेगा तथा इस निमित्त विहित प्ररूप में एक विवरणी के साथ सम्पत्ति कर की रकम, निगम द्वारा नियत की गई तारीख को या उसके पूर्व जमा करेगा जिसमें असफल रहने पर ऐसी दर से अधिभार जैसा कि निगम द्वारा अवधारित किया जाये, प्रभारित किया जायेगा.

उपधारा (3) (3) उपधारा (2) के अधीन किये गये कर निर्धारण में किसी ओर दस प्रतिशत तक के फेरफार को ध्यान में नहीं लिया जायेगा. उन मामलों में जहां फेरफार दस प्रतिशत से अधिक हो, वहां यथास्थिति भूमि या भवन का स्वामी ऐसी शास्ति का भुगतान करने के दायित्वाधीन होगा, जो ऐसे स्वामी द्वारा किये गये स्वयं निर्धारण तथा निगम द्वारा किये गये निर्धारण के अंतर के पांच गुने के बराबर होगी.

उपधारा (4) (4) उपधारा (3) के अधीन पारित किये गये आदेशों के विरुद्ध अपील मेयर-इन-कौंसिल को होगी.

* * * * * * * * * * * * * *

धारा 142 **कर निर्धारण के आशय के लिये सेवानियुक्ति**

उपधारा (3) (3) यदि कोई व्यक्ति किसी को इस धारा के अधीन उसकी किन्हीं भी शक्तियों का प्रयोग करने में इच्छापूर्वक विलम्बित करेगा या बाधा डालेगा, तो ऐसे अर्थदण्ड का भागी होगा जो सौ रुपये से अधिक न हो.

* * * * * * * * * * * * * *

धारा 165 **नगरपालिक के करारोपण के दायित्व के संबंध में सही जानकारी प्रस्तुत करने का कर्तव्य**

उपधारा (2) (2) यदि कोई व्यक्ति, जिसे जानकारी प्रस्तुत करने के लिये इस प्रकार आदेश दिये गये हों, ऐसा करने में परित्यक्ति करेगा या ऐसी जानकारी प्रस्तुत करेगा जो उसके ज्ञान में असत्य हो, तो वह ऐसे अर्थ-दण्ड से दण्डनीय होगा, जो एक सौ रुपये तक का हो सकता है.

* * * * * * * * * * * * * *

धारा 166

स्वामी के नाम तथा पते के संबंध में सही जानकारी प्रस्तुत करने का अधिवासी का कर्तव्य

यदि किसी भूमि या भवन का अधिवासी, उचित कारण के बिना धारा 139 के अधीन निर्वाह किये गये सूचना-पत्र का पालन करने में प्रमाद या इन्कार करेगा अथवा ऐसी जानकारी प्रस्तुत करेगा जो उसकी जानकारी में असत्य हो, तो वह ऐसे अर्थ-दण्ड से दण्डनीय होगा, जो एक सौ रुपये तक का हो सकता है.

* * * * * * * * * * * * * *

धारा 199
उपधारा (2)

ऐसी शौचालयों आदि का हटाया जाना जो जलप्रदाय के किसी साधन के निकट हों

(2) कोई भी जो, आयुक्त की अनुज्ञा के बिना, इस धारा के अधीन सूचना-पत्र जारी करने के पश्चात् एक सप्ताह से अधिक होने वाले काल के लिये किसी स्रोत, कुएं, तड़ाग, जलाशय या अन्य ऐसे साधन से, जिससे जल सार्वजनिक उपयोग के लिये प्राप्त किया जाता हो या किया जा सकता हो, 100 फीट के भीतर किसी जल-निकास, शौचगृह, शौचालय, मूत्रालय, शोषणगर्त, निराकरण या चहबच्चे कार्य, या कूड़े अथवा मल के लिये अन्य पात्र का निर्माण करेगा या उन्हें रखेगा, ऐसे अर्थ दण्ड से जो पचास रुपये तक हो सकता है और सूचना-पत्र दे दिये जाने की दशा में, ऐसे अर्थ दण्ड से जो प्रत्येक ऐसे दिन के लिये पांच रुपये से अधिक न हो, जबकि उक्त अपराध, हटाये जाने के लिये दिये गये काल के समाप्त होने के पश्चात् चालू रहा हो, दंडनीय होगा.

* * * * * * * * * * * * * *

धारा 200

गन्दे पानी का निकाला जाना

कोई भी जो, आयुक्त की अनुज्ञा के बिना, किसी मौरी, चहबच्चे के मल-मूत्र या किसी अन्य उद्वेजक पदार्थ के किसी सड़क या सार्वजनिक स्थान पर या किसी सिंचन-नहर या जल-निकास में, जो इस आशय के लिये पृथक न रखा गया हो, बहवाएगा, निष्कासित करायेगा या रखवाएगा या जानबूझकर या प्रभावपूर्वक बहने देगा, निष्कासित करने देगा या रखने देगा, ऐसे अर्थदण्ड से दंडित किया जायेगा, जो बीस रुपये तक हो सकता है.

* * * * * * * * * * * * * *

धारा 201

प्राधिकार के बिना जल-निकासों का निर्माण या उनमें परिवर्तन करना

कोई भी, जो आयुक्त की अनुज्ञा के बिना किसी भी ऐसे जल-निकास का निर्माण करेगा या करवायेगा या उसमें परिवर्तन करेगा या करवायेगा, जो निगम में वेष्टित जल-निकासों में से किसी जल-निकास तक जाता हो, ऐसे अर्थ-दण्ड से दंडित होगा जो पचास रुपये तक हो सकता है.

* * * * * * * * * * * * * *

धारा 236
उपधारा (2)

आयुक्त की अनुज्ञा के बिना मुख्य मार्गों से संयोजन न किया जाना

(2) उपधारा (1) के निर्बन्धनों के उल्लंघन में कार्य करने वाला कोई भी व्यक्ति ऐसे अर्थ-दण्ड से दंडित होगा जो पचास रुपये से अधिक का नहीं हो.

* * * * * * * * * * * * * *

धारा 252
उपधारा (2)

अनुमति प्राप्त उपान्तों के अतिरिक्त चल-चित्रों तथा नाटकीय आयोजनों का निषेध

(2) यदि इस धारा के आदेशों या इस धारा के अधीन प्रदान किये गये अनुमति-पत्र के किसी प्रतिबंध का उल्लंघन करते हुए चल-चित्र प्रदर्शन यंत्र या अन्य प्रयोग यंत्र का स्वामी ऐसे यंत्र का प्रयोग करे या प्रयोग करना अनुज्ञापित करें, या यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक नाटकीय आयोजन, सर्कस या मूक प्रदर्शन में भाग ले, या यदि किन्हीं उपान्तों का अधिवासी उन उपान्तों को उपयोग में लाया जाना अनुज्ञापित करे, तो वह ऐसे अर्थदण्ड का, जो दो सौ रुपये से अधिक न हो और निरंतर अपराध की दशा में ऐसे प्रत्येक दिवस के लिये, जिसमें अपराध चालू रहा हो पचास रुपये के और अर्थदण्ड का भागी होगा, और उसका अनुमति-पत्र आयुक्त द्वारा निरस्त किये जाने योग्य होगा.

* * * * * * * * * * * * * *

धारा 257 **विक्रय के हेतु पशुओं का वध करने के लिये स्थान**

उपधारा (5) (5) कोई भी व्यक्ति जो इस धारा के अधीन निगम द्वारा नियत स्थान के अतिरिक्त नगर के भीतर किसी अन्य स्थान में विक्रय के लिये किसी पशु का वध करेगा, ऐसे अर्थदण्ड से दण्डनीय होगा जो पचास रुपये तक का हो सकता है.

* * * * * * * * * * * * * *

धारा 258 **मृत पशुओं का निराकरण**

उपधारा (4) (4) कोई व्यक्ति, जो इस धारा की उपधारा (1) के अनुसार कार्य करने के लिये आबद्ध हो, यदि वह इस प्रकार कार्य न करे, ऐसे अर्थ-दण्ड से दण्डित किया जायेगा जो दस रुपये तक हो सकता है.

* * * * * * * * * * * * * *

धारा 272 **भयंकर रोग के अस्तित्व के संबंध में सूचना का दिया जाना**

उपधारा (इ) (इ) ऐसे निवास-स्थान में किसी ऐसे रोग से पीड़ित किसी व्यक्ति की देखरेख या परिचर्या करने वाला व्यक्ति होने के कारण और उसमें उस रोग के अस्तित्व से भिज्ञ होने के कारण;

तुरन्त जानकारी न दें, या स्वास्थ्य पदाधिकारी को या किसी अन्य पदाधिकारी को, जिसे निगम ऐसे रोग के अस्तित्व के संबंध में जानकारी देने के लिये आदेशित करे, जानबूझकर मिथ्या जानकारी दें ऐसे अर्थदण्ड से दण्डनीय होगा, जो पचास रुपये तक हो सकता है.

* * * * * * * * * * * * * *

धारा 294 **भवनों की सूचना**

उपधारा (4) (4) इसमें निहित कोई भी बात उप-धारा (1) के चरण (आ) के आदेशों का पालन करने के लिये किसी व्यक्ति को उस समय तक अपेक्षित नहीं करेगी, जब तक स्थल, आयुक्त या ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसे वह नियुक्त करे, स्वीकृत न किया जा चुका हो.

* * * * * * * * * * * * * *

धारा 297 **आधार जिन पर भवन का निर्माण या पुनर्निर्माण करने की अनुज्ञा देने से इंकार किया जा सकेगा.**

(1) आयुक्त किसी भवन का निर्माण या पुनर्निर्माण करने की अनुज्ञा तब तक प्रदान नहीं करेगा जब तक कि वह धारा 294 के अधीन आवेदन-पत्र पर उसके स्थल को मान्य न कर ले.

(2) आयुक्त निम्नलिखित दशाओं में किसी भवन का निर्माण या पुनर्निर्माण करने की अनुज्ञा प्रदान नहीं करेगा :—

(अ) यदि आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत किए गए मानचित्रों तथा विशेष विवरणों से यह प्रतीत हो कि ऐसा भवन धारा 291 के अधीन स्वीकृत नगर निर्माण योजना के या इस अधिनियम के किसी भी आदेश के या इस अधिनियम के किसी भी आदेश के या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम या उपविधि के या तत्कालीन प्रचलित किसी विधि के किसी आदेश के अनुसार नहीं है; या

(अ-1) यदि उसके मत में ऐसे भवन का निर्माण या पुनर्निर्माण पड़ोस के निवासियों के लिए या जनता के लिए व्यधाजनक या हानिप्रद होगा : या

(आ) जब तक कि कोई भी मानचित्र, विशेष विवरण या ब्यौरे जो उसने मांगे हों, न दे दिए जाएं.

* * * * * * * * * * * * * *

धारा 299 **भवन के स्वीकृत योजना-चित्र में उसके निर्माण के पूरा होने के पूर्व परिवर्तन कराने का निर्देश देने की आयुक्त की शक्ति—**

आयुक्त धारा 293 के अधीन उसके द्वारा प्रदान की गई किसी भी अनुज्ञा के अनुसरण में किसी भी कार्य के प्रारंभ होने से पूर्व ऐसी अनुज्ञा को रद्द कर सकेगा और उसके स्थान पर इस अधिनियम के तथा इसके अधीन बनाये गये नियमों एवं

उपविधियों के अनुसार उक्त धारा में वर्णित विषयों के संबंध में ऐसे प्रतिबंधों पर, जैसे कि वह उचित समझे, नवीन अनुज्ञा प्रदान कर सकेगा और यह निर्देश दे सकेगा कि कार्य तब तक प्रारंभ नहीं किया जायेगा जब तक कि क्रमश: भवन तथा किसी ऐसी सड़क की स्थिति से संबंधित समस्त प्रश्नों का उसकी तुष्टि योग्य निर्णय न हो जाये.

धारा 299-क **भवन के सन्निर्माण की अनुज्ञा को रद्द या पुनरीक्षित करने की राज्य सरकार की शक्ति**

यदि वह पाया जाये कि इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये किन्हीं नियमों या उपविधियों के किसी उपबंध के अतिक्रमण में भवन के सन्निर्माण के लिये अनुज्ञा दी गई है या राज्य सरकार की राय में लोकहित में यह आवश्यक है कि नगरपालिका निगम द्वारा दी गई अनुज्ञा निरस्त किये जाने या पुनरीक्षित किये जाने योग्य है, तो राज्य सरकार को ऐसी अनुज्ञा को रद्द करने या उसे पुनरीक्षित करने की शक्ति होगी और यथास्थिति, ऐसे रद्दकरण या पुनरीक्षण पर, रद्दकरण या पुनरीक्षण से संबंधित आदेश के प्रतिकूल कोई सन्निर्माण बिना अनुज्ञा के किया गया समझा जायेगा और उसके बारे में इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी :

परन्तु कोई भी ऐसा आदेश तब तक पारित नहीं किया जायेगा जब तक कि व्यथित पक्षकार को सुनवाई का अवसर न दे दिया गया हो.

* * * * * * * * * * * * * *

धारा 302 **ऐसे भवन निर्माण कार्य को, जो अवैध रूप से प्रारंभ किया गया हो, या चालू हो, आगे चलाने से रोकने की आयुक्त की शक्ति.**

उपधारा (2) (2) कोई भी ऐसा व्यक्ति, जो ऐसे सूचनापत्रों के निर्बन्धनों का पालन नहीं करेगा, ऐसे अर्थदण्ड से दण्डनीय होगा, जो एक हजार रुपये तक हो सकता है और यदि वह, उसके ऐसा न करने का प्रथम दिन के पश्चात् ऐसे सूचनापत्र के निर्बन्धनों का पालन नहीं करेगा तो ऐसे और अर्थदण्ड से दण्डनीय होगा जो प्रथम के पश्चात् प्रत्येक ऐसे दिन के लिये, जिसमें अपराध चालू रहे पचास रुपये तक हो सकता है.

* * * * * * * * * * * * * *

धारा 308-क **अनुज्ञा के बिना भवनों के सन्निर्माण के अपराधों का शमन किया जाना**

इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या बनाई गई उपविधियों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, अनुज्ञा के बिना या प्रदान की गई अनुज्ञा के प्रतिकूल, भवनों के सन्निर्माण के अपराध का शमन किया जा सकेगा, यदि—

(क) ऐसा सन्निर्माण नियमित भवन पंक्ति को प्रभावित नहीं करता है ;

(ख) खुले पार्श्व स्थानों में या विहित फर्श क्षेत्र के अनुपात से अधिक किया गया अप्राधिकृत सन्निर्माण का क्षेत्र जो विहित फर्श क्षेत्र अनुपात से दस प्रतिशत से अधिक नहीं है;

परंतु शमन शुल्क, उस भवन के अनुज्ञा शुल्क के पंद्रह गुना से कम नहीं होगा किन्तु पचास गुना से अधिक नहीं होगा.

(ग) राज्य सरकार द्वारा पर्वतीय स्थल या पर्यटन महत्व के स्थल या पारिस्थितिकी के बिन्दु से संवेदनशील/भंगुर के रूप में अधिसूचित क्षेत्र;

(घ) वाहनों की पार्किंग करने के लिए विनिर्दिष्ट क्षेत्र;

(ङ) सड़क के भीतर आने वाले क्षेत्र या ऐसे क्षेत्र जिससे सार्वजनिक सड़क का संरेखण प्रभावित होता हो;

(च) तालाबों के लिए विनिर्दिष्ट क्षेत्र;

(छ) नियमित भवन पंक्ति को प्रभावित करने वाला सन्निर्माण का क्षेत्र :

परंतु शमन शुल्क उस भवन के अनुज्ञा शुल्क के पन्द्रह गुना से कम नहीं होगा किन्तु पचास गुना से अधिक नहीं होगा :

परंतु यह और कि प्रशमन, आवासीय सन्निर्माण की दशा में आयुक्त द्वारा और गैर आवासीय सन्निर्माण की दशा में मेयर-इन-काउंसिल की अनुज्ञा से किया जाएगा.

* * * * * * * * * * * * * *

धारा 332 **पेड़ों के काटे जाने, भवन के निर्माण या गिराये जाने आदि के समय सड़कों का सुरक्षण आदेशित करने की शक्ति**

उपधारा (4) (4) कोई भी, जो उपधारा (1) के आदेशों का उल्लंघन करेगा या उपधारा (2) के अधिसूचना-पत्र के निर्बन्धनों का पालन करने में परित्यक्ति करेगा ऐसे अर्थ-दण्ड से जो पचास रुपये तक हो सकता है और निरंतर उल्लंघन या परित्यक्ति की दशा में ऐसे और अर्थदण्ड से जो प्रथम दिन के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिये जिसमें उल्लंघन या परित्यक्ति चालू रहे, पांच रुपये तक हो सकता है, दण्डनीय होगा.

* * * * * * * * * * * * * *

धारा 334 **दिशासूचक-स्तम्भों, दीप-स्तम्भों आदि का नष्ट किया जाना**

कोई भी, जो आयुक्त द्वारा प्राधिकृत हुए बिना, किसी भी नगरपालिक दिशासूचक-स्तंभ, दीपस्तंभ या दीप या निगम की किसी भी सम्पत्ति को विरूपित करेगा या उसके साथ छेड़छाड़ करेगा या उसे क्षति पहुंचायेगा या किसी भी सार्वजनिक स्थान में किसी भी नगरपालिक प्रकाश को बुझायेगा, ऐसे अर्थदण्ड से दण्डनीय होगा, जो दस रुपये तक हो सकता है.

* * * * * * * * * * * * * *

धारा 335 **अनुज्ञा के बिना पर्चों का चिपकाया जाना**

उपधारा (1) (1) कोई भी जो, स्वामी या अधिवासी या उस समय किस सम्पत्ति की देख-रेख रखने वाले किसी अन्य व्यक्ति की सहमति के बिना कोई भित्त-पत्र, पर्चा सूचना-पत्र, भितिचित्र या अन्य कागज या विज्ञापन का साधन किसी सड़क, भवन, दीवार पेड़, तख्ते, अहाते या घेरे के सहारे या उस पर लगायेगा अथवा लगवायेगा अथवा किसी भी ऐसे भवन, दीवार, पेड़ तख्ते, अहाते या घेरे पर खड़िया या रंग से या किसी भी अन्य रीति में लिखेगा, या उसे गंदा, विरूपित या चिन्हित करेगा, ऐसे अर्थ दण्ड से दण्डनीय होगा, जो बीस रुपये तक हो सकता है.

* * * * * * * * * * * * * *

धारा 336 **अशिष्ट या अश्लील-चित्र या मुद्रित या लिखित विषय-वस्तु**

उपधारा (1) (1) कोई भी जो किसी भी गृह, भवन, दीवार, जुड़े हुए तख्तों, फाटक, अहाते, स्तम्भ, खम्बे, तख्ते, वृक्ष, मार्ग या किसी अन्य वस्तु पर, जो भी हो, किसी भी ऐसे चित्र या मुद्रित या लिखित विषय-वस्तु को जो अशिष्ट या अश्लील प्रकार का हो, इस प्रकार चिपकायेगा, उत्कीर्ण करेगा, या स्टेन्सिल द्वारा छापेगा जिससे वह सड़क, राज-पथ या पगडंडी में होने वाले या उस पर चलने वाले व्यक्ति को दिखाई दे तथा जो उसे किसी भी सार्वजनिक शौचालय या मूत्रालय पर चिपकायेगा या उत्कीर्ण करेगा या स्टेन्सिल द्वारा छापेगा या किन्हीं भी निवासियों या किसी सड़क, राजपथ या पगडंडी में होने वाले या उस पर चलने वाले किसी भी व्यक्ति को देगा या देने का प्रयत्न करेगा या प्रदर्शित करेगा या किसी भी चित्र या मुद्रित या लिखित विषय-वस्तु को, जो अशिष्ट या अश्लील प्रकार की हो, किसी गृह के क्षेत्र में फेंकेगा या किसी गृह या दुकान की खिड़की में इस प्रकार प्रदर्शित करेगा कि वह जन-साधारण को दिखाई दे, दोष-सिद्धि पर ऐसे कारावास से, जो एक मास तक का हो सकता है या ऐसे अर्थदण्ड से, जो पचास रुपये तक का हो सकता है, या दोनों से दण्डित किया जायेगा.

उपधारा (2) (2) कोई भी जो उपधारा (1) में उल्लिखित किन्हीं भी ऐसे चित्रों या मुद्रित या लिखित विषय वस्तु को इस अभिप्राय से किसी भी अन्य व्यक्ति को देगा या सौंपेगा कि वह या उनमें से एक या अधिक उसमें उल्लिखित रूप में चिपकाये जावें, उत्कीर्ण किये जाये, स्टेन्सिल द्वारा छापे जाये, या प्रदर्शित किये जाये, दोष-सिद्धि पर ऐसे कारावास से, जो तीन मास तक हो सकता है, या ऐसे अर्थदण्ड से, जो एक सौ रुपये तक हो सकता है, या दोनों से दण्डित किया जायेगा.

* * * * * * * * * * * * * *

धारा 340
उपधारा (1)

पशुओं का बांधा जाना या बैलगाड़ियों का इकट्ठा किया जाना

(1) तत्कालीन प्रभावशील किसी अन्य अधिनियम के आदेशों के पालन के साथ, कोई भी जो आयुक्त की अनुज्ञा के बिना किसी सड़क पर पशुओं को बांधेगा या बैलगाड़ियों को इकट्ठा करेगा या किसी भी सड़क को किसी भी प्रकार की गाड़ियों या पशुओं के लिये अड्डे के रूप में या पड़ाव के रूप में उपयोग में लायेगा या पशुओं को खुला छोड़ेगा या खुला छुटा रहने देगा, ऐसे अर्थदण्ड से दण्डनीय होगा, जो बीस रुपये तक का हो सकता है.

* * * * * * * * * * * * * *

धारा 341

समुचित प्रकाश के बिना गाड़ियों का हांका जाना

कोई भी जो किसी ऐसी गाड़ी को जिसमें प्रकाश की समुचित व्यवस्था न हो किसी भी सड़क पर सूर्यास्त होने के आधे घण्टे के पश्चात् से लेकर सूर्योदय होने के आधे घण्टे के पूर्व तक के काल में हांकेगा या चलायेगा, ऐसे अर्थदण्ड से जो पांच रुपये तक हो सकता है, दण्डनीय होगा.

* * * * * * * * * * * * * *

धारा 343
उपधारा (3)

वाष्प सीटियों आदि का उपयोग

(3) कोई भी जो इस धारा के आदेशों के उल्लंघन में किसी सीटी, तुरही या अन्य साधन को उपयोग में या प्रयोग में लायेगा, ऐसे अर्थदण्ड से जो पचास रुपये तक का हो सकता है और प्रत्येक ऐसे दिन के लिये, जिसमें अपराध जारी रहा हो ऐसे और अर्थदण्ड से जो पांच रुपये तक हो सकता है, दण्डनीय होगा.

* * * * * * * * * * * * * *

धारा 344

आग्नेय-अस्त्रों का चलाया जाना

कोई भी जो ऐसी रीति में आग्नेय-अस्त्र चलायेगा या आतिशबाजी, धमाके या विस्फोटक छोड़ेगा अथवा किसी भी क्रीड़ा में ऐसी रीति में व्यस्त होगा जिससे पास में आने-जाने वाले या रहने वाले या कार्य करने वाले व्यक्तियों को भय लगे या उद्वेजन हो या भय लगने या उद्वेजन होने की संभावना हो या संपत्ति को हानि पहुंचने की जोखिम हो, ऐसे अर्थदण्ड से दण्डनीय होगा जो बीस रुपये तक हो सकता है.

* * * * * * * * * * * * * *

धारा 345

खदान खनन, सुरंग लगाना, इमारती लकड़ी काटना या भवन निर्माण

कोई भी जो ऐसी रीति में खदान खनन करेगा, सुरंग लगायेगा, इमारती लकड़ी काटेगा या भवन-निर्माण कार्य करेगा या जिससे पास में आने-जाने वाले या रहने वाले या कार्य करने वाले व्यक्तियों को भय लगे या भय लगने की संभावना हो, ऐसे अर्थदण्ड से दण्डनीय होगा, जो पचास रुपये तक का हो सकता है.

* * * * * * * * * * * * * *

धारा 346-अ

नाली या पात्र के अतिरिक्त अन्य किसी भी स्थान में थूकना

कोई भी जो ऐसी नाली या पात्र, जिसकी कि इस आशय के लिये निगम द्वारा व्यवस्था की हो, के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान में थूकेगा, ऐसे अर्थदण्ड से, जो पच्चीस रुपये तक हो सकता है, दण्डनीय होगा.

* * * * * * * * * * * * * *

धारा 356
खण्ड (आ)

कुत्तों को घूमने फिरने देना

(आ) यदि आयुक्त ने आलर्क के प्रसार के काल में (उपविधियों द्वारा) नियत रीति में सूचना-पत्र द्वारा यह निर्देश दिया हो कि कुत्ते बिना मुख-बंधनी के नहीं घुमेंगे; ऐसे अर्थ-दण्ड से दण्डनीय होगा जो बीस रुपये तक का हो सकता है.

* * * * * * * * * * * * * *

धारा 357 **हाथियों आदि का नियंत्रण**

कोई भी ऐसा व्यक्ति जो किसी हाथी, ऊंट या रीछ की देखरेख रखता हो, किसी घोड़े के, जिस पर सवारी हो, या जो जुता हुआ हो, या बैलों द्वारा खींचे जाने वाले किसी वाहन के आगमन पर अपने हाथी, ऊंट या रीछ की यथासंभव सुरक्षित दूरी पर ऐसा करने के लिये निवेदन किये जाने पर हटाने में परित्यक्ति करेगा, ऐसे अर्थदण्ड से दण्डनीय होगा जो बीस रुपये तक हो सकता है.

* * * * * * * * * * * * * *

धारा 358 **घोड़े या अन्य पशु को खुला छोड़ना**

कोई भी जो इच्छापूर्वक या प्रमादपूर्वक किसी घोड़े या अन्य पशु को खुला छोड़ेगा, जिससे किसी व्यक्ति को चोट, संकट, भय, या उद्वेजना या सम्पत्ति को क्षति पहुंचे या प्रमादपूर्वक किसी घोड़े या अन्य पशु द्वारा किसी व्यक्ति को चोट, संकट, भय या उद्वेजना या सम्पत्ति को क्षति पहुंचाने देगा, ऐसे अर्थ-दण्ड से दंडनीय होगा जो पचास रुपये तक हो सकता है.

* * * * * * * * * * * * * *

धारा 360 **भिक्षा मांगना**

उपधारा (1) (1) कोई भी जो निगम की सीमा के भीतर किसी सड़क या सार्वजनिक स्थान में भिक्षा मांगेगा या भिक्षा देने के लिये उत्तेजित करने या बलात् भिक्षा ग्रहण करने के उद्देश्य से किसी विरूपता, रोग या शारीरिक पीड़ा या किसी उद्वेजक फोड़े या घाव को खुला रखेगा या प्रदर्शित करेगा, ऐसे कारावास से जो तीन मास तक का हो सकता है, या ऐसे अर्थदण्ड से जो पचास रुपये से अधिक न हो या दोनों से दण्डनीय होगा.

उपधारा (3) (3) यदि उपधारा (2) के अधीन दरिद्रालय को भेजा गया व्यक्ति उससे निकल भागे या ऐसे प्रतिबंधों का उल्लंघन करे जिनके पालन के अधीन उसे दरिद्रालय को भेजा गया था, तो वह ऐसे कारावास से, जो छः मास तक हो सकता है, या अर्थदण्ड से जो एक सौ रुपये तक का हो सकता है, या दोनों से दंडनीय होगा.

उपधारा (5) (5) यदि उक्त व्यक्ति उपधारा (4) में निर्दिष्ट प्राधिकारी की अनुज्ञा के बिना नगर की सीमाओं में लौटेगा, तो वह ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि छः मास तक हो सकती है, या ऐसे अर्थदण्ड से जो एक सौ रुपये तक हो सकता है, या दोनों से दण्डनीय होगा.

* * * * * * * * * * * * * *

धारा 361 **भिक्षावृत्ति करवाना**

कोई भी जो नगर की सीमाओं के भीतर भिक्षा मांगने के आशय के लिये अन्य व्यक्तियों को नियुक्त करेगा तथा उसकी भिक्षा से होने वाले आय या पूर्णतः या अंशतः निर्भर रहेगा, दोनों में से किसी भी प्रकार के कारावास से, जो छः मास तक हो सकता है या ऐसे अर्थ दण्ड से जो एक सौ रुपये से अधिक न हो, या दोनों से दण्डनीय होगा.

* * * * * * * * * * * * * *

धारा 362 **अनाचार-गृहों तथा वेश्याओं पर नियंत्रण रखने की शक्ति**

उपधारा (2) (2) कोई भी जो उपधारा (1) के अधीन दिये गये सूचना-पत्र के पश्चात्—

(अ) निषिद्ध क्षेत्र के भीतर व्यभिचार-गृह को रखेगा या उसका प्रबंध करेगा या उसके प्रबंध में कार्य करेगा या सहायता पहुंचायेगा;

(आ) किसी उपान्त का भाड़ेदार, पट्टाग्रहीता या अधिवासी होने के नाते निषिद्ध क्षेत्र के भीतर जानबूझकर ऐसे उपान्त या उसके किसी भाग को व्यभिचार-गृह के रूप में या स्वाभावितक वेश्यावृत्ति आशयों के लिए उपयोग में लाने की अनुज्ञा देगा ; या

(इ) किसी उपान्त का पट्टादाता या भू-स्वामी अथवा ऐसा पट्टादाता या भू-स्वामी का कार्य प्रतिनिधि होने के नाते, निषिद्ध क्षेत्र के भीतर, यह जानते हुए कि उपान्त या उसका कोई भाग, व्यभिचार-गृह के

(1)	(2)	(3)	(4)
धारा 211	जल-निकासों की हवा की व्यवस्था के लिए हवा निकलने के साधनों या नलों को लगाने में आयुक्त का प्रतिरोध.	पचास रुपये	पचास रुपये
धारा 246	आयुक्त की अनुज्ञा के बिना कारखाने आदि की स्थापना.	एक हजार रुपये	दो सौ रुपये
धारा 248	भयंकर या उद्वेजक वस्तुओं का संग्रह या भयंकर या उद्वेजक व्यापारों का किया जाना.	पांच सौ रुपये	पचास रुपये
धारा 254 उप-धारा (1)	आज्ञा के बिना निजी बाजार खुला रखना.	दो सौ पचास रुपये	पच्चीस रुपये
धारा 254 उप-धारा (2)	अनुज्ञा के बिना निजी बाजार की स्थापना, हटाया जाना, पुनः खोलना, पुनःस्थापना या वृद्धि करना.	एक हजार रुपये	एक सौ रुपये
धारा 255	अनुमति पत्र के बिना बाजार के बाहर पशुओं, गोश्त आदि का विक्रय.	एक सौ रुपये	दस रुपये
धारा 257 उप-धारा (3)	नगरपालिक वधशालाओं के बाहर अनुज्ञा के बिना पशुओं का वध.	एक सौ रुपये	—
धारा 259	मानव खाद्य के लिए अभिप्रेत रोगग्रस्त या अस्वास्थ्यकर पशु या वस्तु का विक्रय.	प्रथम अपराध के लिए दो सौ रुपये तथा किसी पश्चात्वर्ती अपराध के लिए एक हजार रुपये.	—
धारा 260	ऐसे स्थान पर जहां मक्खन, घी आदि तैयार किया जाता हो, अपमिश्रकों का रखा जाना.	एक सौ रुपये	—
धारा 261	ऐसी विज्ञापित वस्तु का विक्रय आदि जो नियत प्रामाणिक प्रकार की शुद्धता की न हो.	प्रथम अपराध के लिए दो सौ रुपये तथा किसी पश्चात्वर्ती अपराधों के लिए एक हजार रुपये.	—
धारा 262	नकली वस्तुओं का विक्रय आदि.	प्रथम अपराध के लिए एक सौ रुपये तथा किसी पश्चात्वर्ती अपराध के लिए एक हजार रुपये.	—

(1)	(2)	(3)	(4)
धारा 267 उप-धारा (3)	हस्तगत किए गए अभिरक्षण में छोड़े गए पशु, खाद्य, पेय, औषध आदि का हटाया जाना, उसके साथ छेड़छाड़ या गड़बड़ करना.	दो सौ रुपये	—
धारा 272	भयंकर रोग के अस्तित्व के संबंध में जानकारी का न दिया जाना.	पचास रुपये	—
धारा 289 उप-धारा (1) चरण (अ), (आ) तथा (ई)	अनुज्ञा के बिना मुर्दे गाड़ने का निषेध.	पांच सौ रुपये	—
धारा 289 उप-धारा (1) चरण (इ)	किसी ऐसे अन्य स्थान पर शव का गाड़ा जाना या जलाया जाना जो श्मशान या कब्रिस्तान न हो.	पचास रुपये	—
धारा 291	किसी नगर निर्माण योजना के उल्लंघन में किसी भवन का निर्माण या पुनर्निर्माण.	एक हजार रुपये	एक सौ रुपये
धारा 293	आयुक्त की अनुज्ञा के बिना भवनों के निर्माण या पुनर्निर्माण का निषेध.	एक हजार रुपये	एक सौ रुपये
धारा 301 उप-धारा (1)	भवन पूरा होने के संबंध में आयुक्त को सूचना-पत्र का दिया जाना.	एक सौ रुपये	—
धारा 301 उप-धारा (4)	आयुक्त की अनुज्ञा के बिना नवीन या पुनर्निर्मित भवन के अधिवास का निषेध.	एक हजार रुपये	दस रुपये
धारा 309 उप-धारा (3)	ऐसे भवन में प्रवेश करना या रहना जो मानव निवास के लिए अनुपयुक्त घोषित कर दिया गया है.	पांच सौ रुपये	दस रुपये
धारा 310 उप-धारा (1)	नष्टप्राय या भयप्रद स्थिति में होने वाले भवन को हटाने या मरम्मत करने की मांग.	एक सौ रुपये	दस रुपये
धारा 310 उप-धारा (3)	ऐसे नष्टप्राय या भयप्रद स्थिति में होने वाले भवन में प्रवेश करना या उसमें रहना, जिससे अधिवासी हटा दिए गए हैं.	दो सौ रुपये	दस रुपये

(1)	(2)	(3)	(4)
धारा 318 उप-धारा (1)	सड़कों आदि पर प्रलम्बनों का निषेध.	दो सौ रुपये	दस रुपये
धारा 318 उप-धारा (2)	उनको हटाने की मांग	दो सौ रुपये	दस रुपये
धारा 324	सड़कों या मार्गों आदि पर खुलने वाले पहली मंजिल के दरवाजों आदि में परिवर्तन करने की मांग.	पच्चीस रुपये	पांच रुपये
धारा 325	सड़कों आदि पर प्रलम्बनों को हटाने की मांग.	दो सौ रुपये	दस रुपये
धारा 328 उप-धारा (1)	आयुक्त की अनुज्ञा के अनुसार के अतिरिक्त अन्यथा निजी सड़क की योजना बनाना.	एक हजार रुपये	एक सौ रुपये

* * * * * * * * * * * * * *

धारा 435 **कतिपय अपराधों के लिये दण्ड**

कोई भी, जो धारा 229, 230, 285, 375, 411 या 412 के किन्हीं भी आदेशों का या उनके अधीन दी गई किसी आज्ञा का उल्लंघन करेगा, या उन आदेशों में से किसी के भी अधीन दिये गये किसी भी वैधानिक निर्देश या मांग का पालन न करेगा ऐसे कारावास से, जो एक मास तक का हो सकता है या ऐसे अर्थ-दण्ड से जो एक हजार रुपये तक का हो सकता है या दोनों से दंडित होगा.

* * * * * * * * * * * * * *

धारा 437 **बाधा पहुंचाने के लिये शास्ति**

कोई भी व्यक्ति जो किसी निगम प्राधिकारी, या किसी निगम पदाधिकारी या सेवक या किसी निगम प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति को इस अधिनियम अथवा उसके अधीन बनाये गये किन्हीं नियमों या उपविधियों द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाने में इच्छापूर्वक बाधा पहुंचायेगा, ऐसे कारावास से जो एक मास तक का हो सकता है, या ऐसे अर्थदण्ड से जो एक हजार रुपये तक का हो सकता है या दोनों से दंडित किया जायेगा.

* * * * * * * * * * * * * *

धारा 438 **निगम के साथ किसी अनुबंध आदि में अंश या हित अर्जित करने के लिये दंड**

यदि कोई पार्षद, निगम पदाधिकारी या सेवक जानबूझकर स्वतः या किसी भागीदार या सेवा-नियोक्ता या सेवानियुक्ति के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निगम के साथ उसके द्वारा या उसकी ओर से किये गये किसी अनुबंध या सेवा-नियुक्ति में कोई ऐसा अंश या हित अर्जित करेगा, जो ऐसा अंश या हित न हो जो धारा 59 की उपधारा (3) के अधीन निगम की सेवा के लिये अनर्ह बनाये बिना निगम के किसी पदाधिकारी या सेवक के लिये अनुज्ञेय हो, तो वह ऐसे साधारण कारावास से जो एक वर्ष, तक का हो सकता है या अर्थदण्ड से अथवा दोनों से दण्डनीय होगा.

* * * * * * * * * * * * * *

धारा 439 उपधारा (1) **सेवा-नियुक्ति छोड़ने वाले आवश्यक पदाधिकारी या सेवक के लिये दण्ड**

(1) कोई आवश्यक पदाधिकारी या सेवक जो धारा 64 या 65 के किन्हीं भी प्रतिबंधों का उल्लंघन करेगा ऐसे करावास से जो छः मास तक का हो सकता है, या अर्थदण्ड से अथवा दोनों से दण्डनीय होगा.

* * * * * * * * * * * *

धारा 440 **व्यापक शास्ति**

कोई भी जो इस अधिनियम के किसी आदेश या उसके अधीन जारी किये गये नियम, उपविधि, प्रबंध नियम, अनुमति पत्र, अनुज्ञा या सूचना-पत्र का उल्लंघन करेगा या ऐसे किसी आदेश के अधीन विधिपूर्वक की गई किसी मांग का पालन न करेगा और यदि ऐसे उल्लंघन या अपालन के लिये इस अधिनियम के किसी अन्य आदेश में किसी शास्ति की व्यवस्था न की गई हो, तो ऐसे अर्थ-दण्ड से जो पचास रुपये तक हो सकता है और यदि उल्लंघन या अपालन निरंतर प्रकार का हो तो ऐसे अर्थदण्ड से जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिये, जिसको प्रथम दोषसिद्धि के पश्चात् ऐसा उल्लंघन या अपालन चालू रहे, बीस रुपये तक हो सकता है, दण्डित किया जायेगा :

* * * * * * * * * * * * * *

अनुसूची **अनुसूची**

* * * * * * * * * * * * * *

देवेन्द्र वर्मा
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.